आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

दिसम्बर 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

ग़ज़ा के मलबे में दफ़्न हुए मानवाधिकार

जिसको ईश्वर हिदायत देने का फ़ैसला करता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। (मिश्कात)

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
AARYA PRINTERS
situated at 201, Ground Floor
DSIDC Complex Okhla Industrial
Area Phase-I, New Delhi-110020
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 06 दिसम्बर 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
नारा बनाम वास्तविकता
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
दुख का करण
मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

सौंदर्य बोध 11
सच्चाई को जानो
संपादन प्रभाग

मुख्य स्तंभ 15
ग़ज़्ज़ा के मलबे में दफ़्न हुए मानवाधिकार
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
दीवारों में घुटता जीवन
निकोलस क्रिस्टॉफ

समाधान 22
मानवाधिकारों की सर्वोत्तम संकल्पना
प्रो. शेख़ मोईन रज़ा

कविता 25
ख़ून फिर ख़ून है
साहिर लुधियानवी

दृष्टिकोण 26
आख़िरी सांसें गिनता इस्राईल
अरी शावित

पर्यावरण 29
सांस पर संकट
जितेंद्र गौतम

मंथन 32
आईना देखना ज़रूरी
डॉ. प्रदीप कुमार

नज़रिया 35
इस धारणा का ज़िम्मेदार कौन?
गुलज़ार सहराई

इबारत 37
महान गणितज्ञ अल-ख़्वारिज़्मी
संपादन प्रभाग

सेहत 39
गले में ख़राश : सतर्क रहें स्वस्थ रहें
संपादन प्रभाग

करियर 41
पर्यावरण प्रबंधन में हरा-भरा भविष्य
संपादन प्रभाग

कहानी 46
भोला
राजिंदर सिंह बेदी

आख़िरी पन्ना 50
बुद्धिमानों के लिए ईश्वर की निशानियां
संपादन प्रभाग

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान



: आधुनिक दुनिया में मानव अधिकार :

नारा बनाम वास्तविकता

आधुनिक युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि 'मानव अधिकार' के गगनभेदी नारों के बीच सबसे अधिक मानव अधिकार (Human Right) ही पर कुठाराघात हो रहा है। आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र और उदारवाद का दुनिया भर में ढोल-नगाड़े के साथ ये प्रचार किया गया था कि इसमें इंसानों के जन्मजात बुनियादी अधिकार अक्षुण्ण रखे जाएंगे, मगर हुआ इसके विपरीत। सबसे अधिक मानव अधिकार पामाल हुए हैं और हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के साथ मानव अधिकारों पर एक सामान्य मानक स्थापित किया। ये घोषणा की गयी कि "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में समान हैं।" (अनुच्छेद 1, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा)

आज फ़िलिस्तीनियों के मानवाधिकार की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पश्चिमी देशों की अगुआई और समर्थन में, वो अत्यंत दर्दनाक और भयावह है। इस्राईल की ज़ायोनिस्ट शक्ति यूरोप और अमेरिका की नवसाम्राज्यवादी शक्तियों के निर्लज्ज सैन्य समर्थन के साथ ग़ज़्ज़ा को 'खुली जेल' से विशाल क़ब्रिस्तान बनाने के संकल्प के साथ हमलावर है। ग़ज़्ज़ा पिछले लगभग दो दशक से एक खुली जेल है और अब तेज़ी से एक सामूहिक क़ब्र बनता जा रहा है। मारे गए लोगों में से 40 प्रतिशत मासूम बच्चे हैं। पूरे-पूरे परिवार की हत्या की जा रही है।

कैसी विडंबना है कि दुनिया भर में लोकतंत्र के नाम पर हासिल की गयी राज्य-सत्ता, मानवाधिकार ही पर हमलावर है। सबसे त्रासद गाथा ये है कि 'आधुनिकता' की जनक और 'मानव अधिकार' की चैंपियन बनने वाली पश्चिमी दुनिया ने ग़रीब और कमज़ोर मुल्कों की जनता के मानवाधिकार पर डाका डाला। इसकी विनाशकारी दास्तान आधुनिक दुनिया की काली सच्चाई है। अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ जैसे कई देशों के बड़े हिस्से को क़ब्रिस्तान में परिवर्तित करके पश्चिमी नवसाम्राज्यवादी शक्तियां अट्टाहास करती रहीं। इन्हीं पश्चिमी मुल्कों में अश्वेतों के विरुद्ध कैसा हिंसक नस्ली भेदभाव होता रहा। अमेरिका के ओकलाहोमा में हर वर्ष 31 मई और 1 जून को अश्वेतों के विरुद्ध होने वाले

सबसे बड़े नरसंहार "Black Wall Street massacre" की बरसी मनाई जाती है।' black lives matter' कैप्शन के तहत पश्चिमी दुनिया में लगातार आंदोलन चलते रहे। विडंबना देखिए, ये सब स्वतंत्रता व मानव-अधिकार के नारों और शिखर सम्मेलनों के साथ-साथ चल रहा है। महाकवि अल्लामा इक़बाल ने पश्चिम की आलोचना करते हुए कहा था-

"ये इल्म, हिक्मत, तदबीर, ये हुकूमत।
पीते हैं लहू, देते हैं तालीम-ए-मसावात।।"

वर्ष 2003 में इराक़ युद्ध के दौरान यूएस आर्मी और सीआईए के अधिकारियों ने इराक़ के अबू ग़रेब जेल में क़ैदियों का जैसा शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न किया था, जिसका ख़ुलासा एमनेस्टी इन्टरनेश्नल की रिपोर्ट में बाद में हुआ।

ग्वांटानामो-बे जेल की प्रताड़ना से कौन अवगत नहीं! मानवाधिकार का ऐसा दमन और हनन शायद ही कहीं हुआ हो। जार्ज बुश जूनियर के प्रशासन के दौरान पकड़े गए कथित आतंकवादियों को यहां इसलिए रखा गया ताकि अमेरीकी क़ानून के तहत जिन नागरिक अधिकार की व्यवस्था है, उसके लाभ से वे वंचित रहें। आज फ़िलिस्तीनियों के मानवाधिकार की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पश्चिमी देशों की अगुआई और समर्थन में, वो अत्यंत दर्दनाक और भयावह है। इस्राईल की ज़ायोनिस्ट शक्ति यूरोप और अमेरिका की नवसाम्राज्यवादी शक्तियों के निर्लज्ज सैन्य समर्थन के साथ ग़ज़्ज़ा को 'खुली जेल' से विशाल क़ब्रिस्तान बनाने के संकल्प के साथ हमलावर है। ग़ज़्ज़ा पिछले लगभग दो दशक से एक खुली जेल है और अब तेज़ी से एक सामूहिक क़ब्र बनता जा रहा है। मारे गए लोगों में से 40 प्रतिशत मासूम बच्चे हैं। पूरे-पूरे परिवार की हत्या की जा रही है। इस्राईल के दशकों के अत्याचार और आतंक के कारण अपनी ज़मीनों से बेघर लोगों के कैम्पों पर ख़तरनाक बमों से हमले हो रहे हैं, पिछले दिनों जबालिया कैम्प पर जो हमला हुआ वो कितना अमानवीय था। यह फंसी हुई आबादी पर जान-बूझकर की गई बमबारी है जिनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे घिनौना कृत्य तो हॉस्पिटल और स्कूल पर अंधाधुंध बमबारी है। बच्चों के हॉस्पिटल तक को टार्गेट किया जा रहा है। मारे गए लोगों में आधी संख्या मासूम बच्चों की है।



ऐसा लगता है कि ग़ज़्ज़ा की तबाही के साथ पश्चिम अपने आदर्शवाद और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को भी मलियामेट कर देगा। शायद ये पश्चिम का अंत है।

दुनिया भर में जिस प्रकार पश्चिमी देशों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पश्चिम की नैतिक और बौद्धिक हार तो हो ही गई है, राजनैतिक शिकस्त भी अब दूर नहीं। दुनिया लम्बे समय तक पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को अब स्वीकार नहीं कर सकती। ■■

फ़लाह पाने वाले!

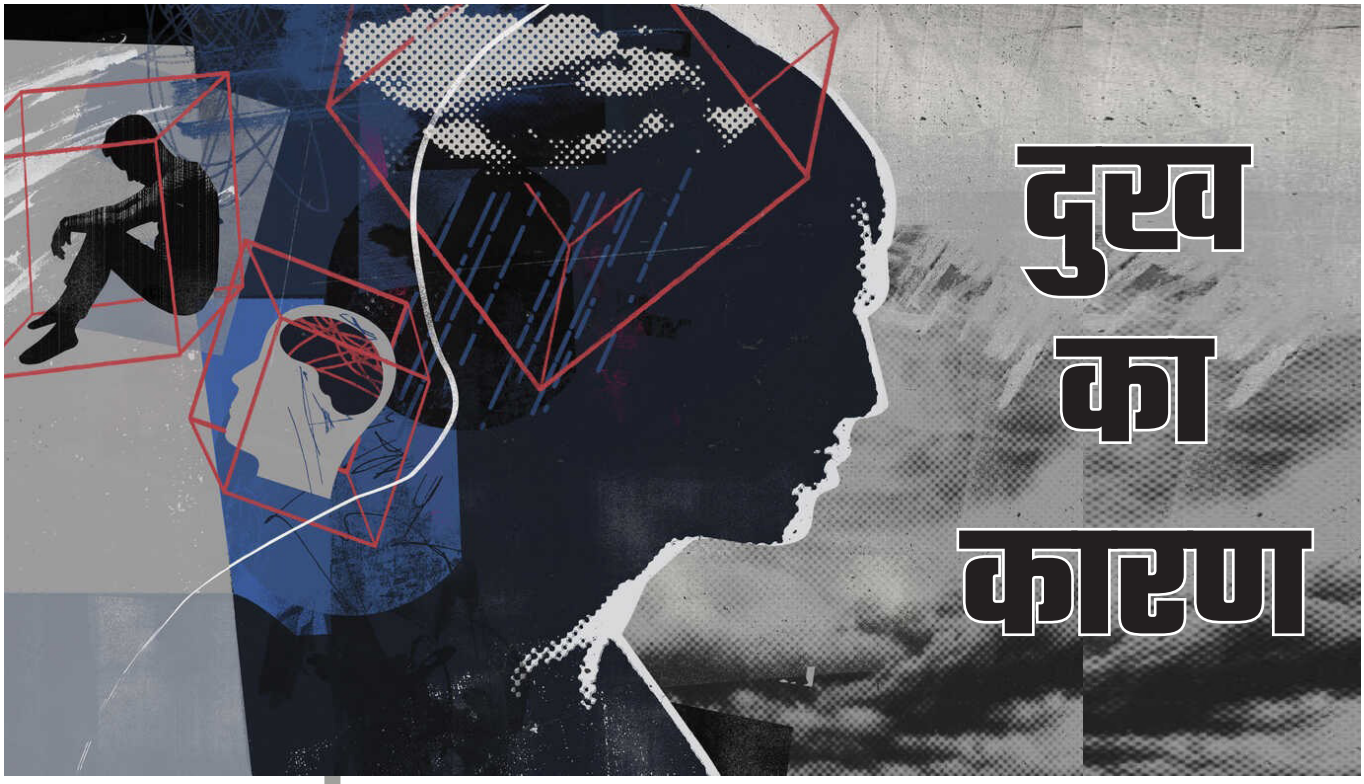
रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया :
उस शख़्स ने फ़लाह पाई जिसने (अपने रब
की) इताअत कर ली और उसे बक़द्र
ज़रूरते-रिज़्क़ अता किया गया और
अल्लाह ने जो उसे अता किया उस
पर उसने क़नाअत इख़्तियार की।

(मिश्कात : 5165)

With Best Compliment From

Goa Barrels Supplier
&
Hindustan Containers

PLOT NO S-2, , COLVALE INDUSTRIAL
ESTATE, COLVALE GOA, Goa - 403507.



दुख का कारण

चिंतन

मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

आज हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। वह संतुष्ट नहीं है। उसका सारा समय एक प्रकार के तनाव में बीत जाता है। परितोष की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है और वह उसके लिए परेशान है, या जैसे वह किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहता है, जिसके उपलब्ध होने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती। वह धन या पद पाने के लिए दौड़ लगाता है और चाहता है कि वह दूसरों से आगे निकल जाए। इसमें कभी वह बड़ी हद तक सफल भी हो जाता है। वह बहुत-सा धन बटोर लेता है। संपत्ति और जायदाद बना लेता है। उसके बहुत से नौकर और सेवक भी हो जाते हैं। उसके जीवन में प्रत्यक्षतः किसी चीज़ की कमी दिखाई नहीं देती, किंतु फिर भी उसकी परेशानी नहीं जाती। वह अधीर का अधीर ही रहता है।

कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कोई ऐसा काम कर जाता है, (जैसे किसी ने कोई आविष्कार कर दिया) जिससे उसे एक बड़ी शोहरत मिल जाती है। दूर-दूर तक लोग उसे जानने लगते हैं और समझते हैं कि वह जीवन में सफल है। लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं और कहते हैं कि उसका कृत्य ऐसा है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। समाचार पत्रों में उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। उसके साथ लोग अपना चित्र खिंचवाना चाहते हैं और उसके संपर्क में आने को अपने लिए गर्व का विषय मानते हैं, किन्तु जब हम व्यक्ति विशेष को निकट से देखते हैं तो वह भी हमें परेशान दिखाई देता है। सब कुछ होते हुए भी वह अतृप्त होता है। उसकी ख़ुशियों में कोई गहराई नहीं पाई जाती। उसके पास शिकायतों की एक लंबी सूची होती है।

लगता है कि ख़ुशियों को बटोरने

के अनथक प्रयास एवं परिश्रम के पश्चात भी अभी तक उसे वह ख़ुशी मिल नहीं सकी कि वह अहोभाव से भर जाए और वह कह सके कि हमें वह सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे, बल्कि अपनी इच्छा से बढ़कर हमें वह सब कुछ प्राप्त है जिसकी कोई कामना कर सकता है। वह ज़िंदगी भर दौड़ता रहता है उसकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उसकी मंज़िल उसे दिखाई नहीं देती। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मंज़िल से उतना ही दूर अब भी है, जितना दूर उस समय था जब उसने ज़िंदगी के मैदान में क़दम रखा था।

मनुष्य की परेशानियों और उसकी विक्षिप्तताओं के मूल कारण को साधारणतया लोग नहीं जानते। इसलिए उसके प्रयासों से परेशानियां कुछ कम क्या होतीं, कुछ बढ़ ही जाती हैं। धन- दौलत और किसी पद को प्राप्त करने के लिए जीवन में मनुष्य की क्रियाशीलता से उसकी सांसारिक आवश्यकताएं तो निश्चय ही पूरी हो जाती हैं, किंतु मनुष्य की कुछ अपेक्षाएं ऐसी भी हैं जो भौतिक नहीं हैं। जब तक हम उन अलौकिक या आत्मिक आवश्यकताओं को नहीं जान लेते हम उनके लिए कभी प्रयास भी नहीं कर सकते।

हमारी परेशानी और विपदाओं के मूल कारण में से एक कारण यह भी है कि हम वर्तमान संसार और लौकिक जीवन ही को सब कुछ समझ लेने की ग़लती करते हैं। वर्तमान जीवन और इस जीवन के साज़ो-सामान हमें समृद्ध नहीं कर सकते। एक तो यहां हमारी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें यह ज़रूरी नहीं है। दूसरे, भौतिक संपदा की दृष्टि से सब समान नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति अरबपति है, कोई आर्थिक दृष्टि से मध्यवर्ग का है और कोई निर्धन तथा दूसरों की सहायता पर निर्भर है।

इसलिए जब तक मनुष्य कम मिलने पर भी संतुष्ट होने की कला नहीं जानता उसकी परेशानी नहीं जा सकती। वास्तव में यहां बहुत कुछ पा लेने के बाद भी और अधिक पा लेने की भूख मिटती दिखाई नहीं देती। जब तक की आदमी की दृष्टि में वह सब कुछ न हो जिसको देने का वादा परमात्मा ने उससे किया है, अर्थात् शाश्वत जीवन और उस अमर जीवन का वैभव, ऐसी स्थिति में यदि आदमी की मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हों तो इसे अपने लिए पर्याप्त समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं हो सकता। जीवन यहां के धन वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान है।

अतः जीवन की वास्तविक उपलब्धि कुछ और ही होगी, और वह है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। मनुष्य का जब अपने वास्तविक रूप से परिचय हो जाता है तो यह परिचय स्वयं उसे इतना समृद्ध बना देता है कि उससे बढ़कर किसी समृद्धता कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य अपने आप में

मनुष्य की परेशानियों और उसकी विक्षिप्तताओं के मूल कारण को साधारणया लोग नहीं जानते। इसलिए उसके प्रयासों से परेशानियां कुछ कम क्या होतीं, कुछ बढ़ ही जाती हैं। धन दौलत और किसी पद को प्राप्त करने के लिए जीवन में मनुष्य की क्रियाशीलता से उसकी सांसारिक आवश्यकताएं तो निश्चय ही पूरी हो जाती हैं, किंतु मनुष्य की कुछ



अपेक्षाएं ऐसी भी हैं जो भौतिक नहीं हैं। जब तक हम उन अलौकिक या आत्मिक आवश्यकताओं को नहीं जान लेते हम उनके लिए कभी प्रयास भी नहीं कर सकते।

समृद्ध है, लेकिन उसे इसका पता नहीं। जिसके कारण वह अपने-आपको निर्धन समझता है और अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए हाथ-पैर मारता रहता है, लेकिन इसके लिए उसका प्रयास भौतिक संपदा को एकत्र करने के सिवा और कुछ नहीं होता, किन्तु इससे उसकी परेशानी दूर नहीं होती।

हां यह तो हो सकता है कि दूसरों के मुक़ाबले में वह धनवान हो जाए और वह धोखे में पड़ जाए और अपने को सफल व्यक्ति समझने लग जाए, किंतु यह केवल धोखा होता है और



देर तक कोई अपने-आपको धोखा नहीं दे सकता। मात्र धन और पद से जीवन की दरिद्रता दूर नहीं होती, धन-दौलत और पद के साथ आपदाएं लगी होती हैं। व्यापार में घाटा भी हो सकता है। आदमी को पद से हटना भी पड़ता है। यहां आशा के साथ निराशा, सफलता के साथ असफलता की आशंका बनी रहती है।

हमारी परेशानियों का एक मूल कारण यह भी है कि सामान्यतः हम शरीर ही के आसपास जीते हैं। शरीर से अधिक अपने को कुछ और अधिक नहीं समझते। हम केवल सांसारिक सुख-सुविधा से परिचित होते हैं, उसी से अपना तादात्म्य (identity) स्थापित कर लेते हैं और शारीरिक कष्ट को ही कष्ट और शारीरिक सुख को ही सुख जानने लगते हैं। हम नहीं जानते कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, बल्कि हमारा अस्तित्व वास्तव में अशारीरिक है, जिसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है और उन उपलब्धियों का मुक़ाबला दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं कर सकती जो उपलब्धियां हमें आत्मा के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। आत्मिक अनुभव और आत्मिक शांति और सुबास से लोग वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका जीवन केवल शरीर के आसपास ही रह जाता है। वे जीवन भर जीवन की संभावनाओं से अपरिचित रहते हैं।

हमारी परेशानियों और दुखों का एक विशेष कारण यह भी है कि हमारा दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित होता है। हम मनुष्यों में से किसी को अपना और किसी को ग़ैर-समझने की ग़लती करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जब सारे मनुष्यों को ईश्वर ने पैदा किया है और सबको इसका अधिकार प्राप्त है कि वे ईश्वर के प्रिय बन सकें तो फिर इसका औचित्य कहां रह जाता है कि हम सारे मनुष्यों को एक दृष्टि से न देखें और अपने परिजनों के अतिरिक्त सबको अपना प्रतिद्वंद्वी या बैरी समझने लगें।

हमारी परेशानियों और दुखों का एक विशेष कारण यह भी है कि हमारा दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित होता है। हम मनुष्यों में से किसी को अपना और किसी को ग़ैर समझने की ग़लती करते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जब सारे मनुष्यों को ईश्वर ने पैदा किया है। अपने सिवा सबको ग़ैर समझने की भूल ही के कारण ईर्ष्या, क्रोध, लोभ आदि रोग हमें घेर लेते हैं और हम अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के सुख-चैन के दुश्मन बन जाते हैं।

शत्रु तो शत्रु, किसी को ग़ैर-समझना भी हिंसात्मक दृष्टिकोण है। अपने सिवा सबको ग़ैर-समझने की भूल ही के कारण ईर्ष्या, क्रोध, लोभ आदि रोग हमें घेर लेते हैं और हम अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के सुख-चैन के दुश्मन बन जाते हैं। हमारी दृष्टि के स्वस्थ होने की एक बड़ी पहचान यही हो सकती है कि हमारा हृदय इतना विशाल हो कि जिसमें सबके लिए सम्मान और प्यार हो, दूसरों की ख़ुशियां हमें ख़ुश कर जाएं और दूसरों की पीड़ाओं से हम दुखी हों। ■■

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

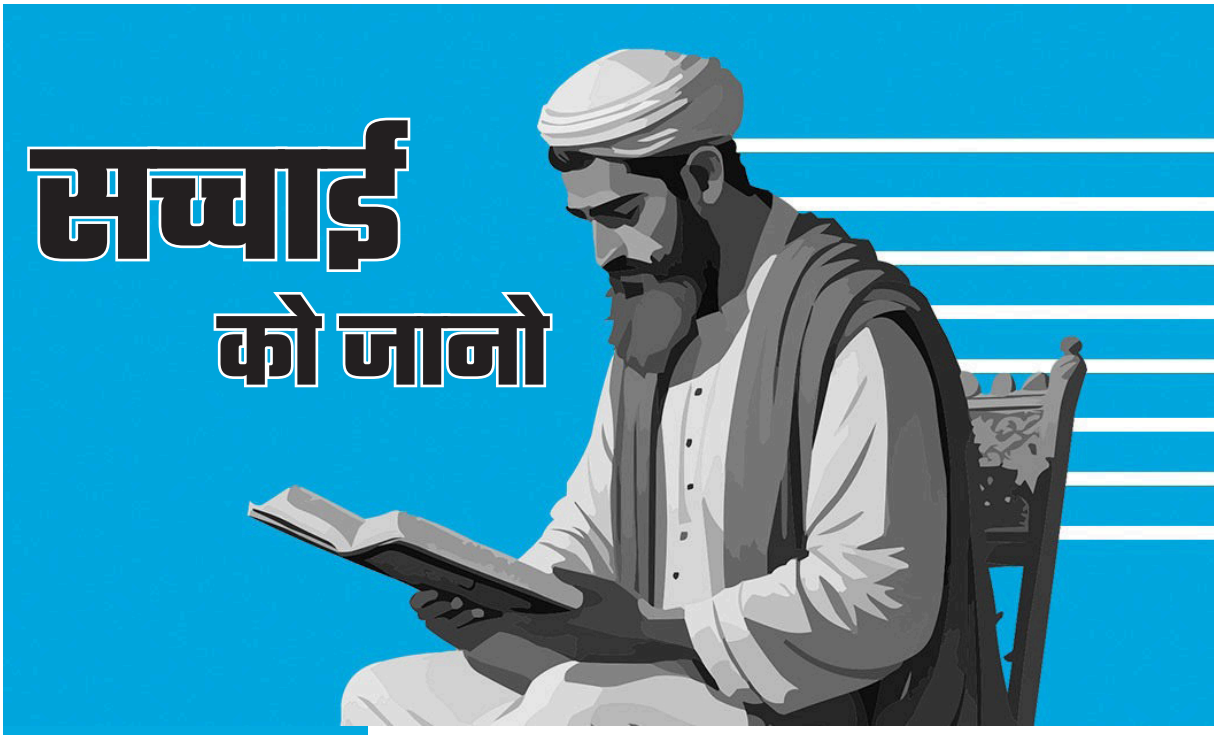
स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।

सच्चाई को जानो



सौंदर्य बोध



संपादन प्रभाग

"सत्ता और अधिकार तो बस ईश्वर का है। उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो। यही सीधा, सच्चा दीन (धर्म) है, किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते।" (कुरआन, 12:40)

हम दुनिया में रहते-बसते, चलते-फिरते, खाते-पीते और अन्य क्रियाकलाप करते हैं, मगर क्या कभी हमने सोचा कि यह दुनिया आख़िर है क्या? इसे किसने और क्यों बनाया? इसकी व्यवस्था कैसी चल रही है? जीवन क्या है? इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? इंसान इस लोक में किस लिए आया? मृत्यु पश्चात उसे कहां जाना है? इस सृष्टि के साथ उसका क्या संबंध है? इस लोक में बसने वाले लोगों के साथ वह किस प्रकार का संबंध स्थापित करे? इंसान को सच्ची ख़ुशी और सच्चा आनंद कैसे मिल सकता है? इंसान की सफलता और असफलता वास्तव में किस चीज़ पर निर्भर करती है? इस जगत के स्रष्टा के साथ उसका क्या संबंध है? ये कुछ उभरे हुए प्रश्न हैं। इन पर विचार करना और इनके उत्तर खोजना प्रत्येक इंसान के लिए आवश्यक है। जब तक इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिल जाएं, तब तक इंसान की दशा एक ऐसे यात्री की तरह है, जिसे अपनी मंज़िल का पता नहीं है, जो निरुद्देश्य दर-दर भटक रहा है।

सोच में गंभीरता

आमतौर पर जीवन के उपरोक्त मौलिक प्रश्नों को लोग गंभीरता से नहीं लेते और वह अपनी शक्ति और समय उन चीजों में लगाते हैं, जिनसे उन्हें अस्थाई और क्षणिक सांसारिक लाभ मिलता रहे और लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। वास्तव में वे अपने-आपको और अपने साथ दूसरे लोगों को भी धोखे में रखना चाहते हैं। लेकिन धोखा, धोखा ही है चाहे वह अपने-आपको दिया जाए या किसी और को। इससे न तो जीवन में सच्चाई, अच्छाई और गहराई आ सकती है और न ही सच्ची ख़ुशी और वास्तविक आनंद एवं शांति मिल सकती है। ये चीज़ें सुदृढ़ विश्वास, सच्चे ज्ञान और ईशपरायणता से मिल सकती हैं। इसलिए जब तक इंसान को जीवन और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का

ज्ञान न हो तब तक न तो उसके विचार उच्च हो सकते हैं और न ही उसका हृदय उदार और विशाल हो सकता है, और न ही संकीर्णता, लोलुपता, उपभोक्तावाद, अपसंस्कृति, पक्षपात, घृणा, वैमनस्यता, अंधविश्वास, छल- कपट, अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन के चक्र को रोका जा सकता है। न ही भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, गबन, बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, उपद्रव, कन्या-भ्रूण हत्या, रिश्वत, कालाबाज़ारी, खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट आदि का उन्मूलन किया जा सकता है। यह बात दिन-प्रतिदिन के अनुभव से भी सिद्ध होती है सुधार के सारे प्रयत्न हमेशा असफल ही होते रहे हैं।

ईशभयविहीन मानव के हृदय में दानवता का वास हो जाता है। यह ईशभयविहीनता एवं अपने रब और पालनहार को न पहचानने ही का अपरिहार्य परिणाम है कि आज प्रायः हर जगह दानवीय प्रवृत्ति के लोग नैतिक और मानवीय मूल्यों को बड़ी क्रूरता के साथ अपने पैरों से कुचल रहे हैं। आज हम प्रतिभाहीन होकर रह गए हैं और हमारी मानवता खो गई है। फलतः हम बहुत-सी जटिल समस्याओं के जाल में फंस गए हैं और अपने जीवन को सार्थक और अर्थमय नहीं बना सके हैं।

जीवन उद्देश्य का निर्धारण

जीवन के महान उद्देश्य के निर्धारण और उसके व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा इंसान इस जाल से बाहर निकल सकता है। जीवन का महान उद्देश्य ही इंसान को इंसान बना सकता है, महान बना सकता है। वह महान उद्देश्य है–अपने रब (प्रभु) को पहचानना, उसके आदेश पर स्वयं चलना और दूसरों को चलाना और उसके साथ किसी को साझी न ठहराना। इसी से उसके जीवन में सुख-शांति की बहार आ सकती है। अतः जब तक इंसान इस महान उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं होता समस्याएं बनी रहेंगी, बल्कि बढ़ती और जटिल होती जाएंगी।

यदि धर्म को विशुद्ध ईशोन्मुखी करके इसके दिए सार्वभौमिकता और



व्यापकता को अनिवार्य माना जाए तो इसमें अनेकता और विधाता की कोई संभावना नहीं रह जाती। वैश्विक भाईचारा स्थापित हो सकता है और समाज की अनेक छोटी व बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

विशुद्ध एकेश्वरवाद

ईश्वर एक है, केवल एक। निश्चय ही उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं। उसकी कोई प्रतिमा व मूर्ति नहीं, किन्तु यह कितने दुख की बात है कि इंसानों में अनेक मत-मतांतर प्रचलित हो गए हैं और लोग यह नहीं समझते कि इससे धर्म के विशेष गुण-उसकी व्यापकता तथा एकत्व को आघात पहुंचा है। अधिकतर इंसानों का वैचारिक धरातल इतना निम्न हो गया है कि वह मत-मतांतरों में खोए हुए हैं। उनको यह चिंता नहीं है कि धर्म के वास्तविक रूप को समझें और सभी इंसानों को एक ईश्वर के मार्ग पर लाने का प्रयास करें। अज्ञानता दूर करें और इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी (दासता) से आज़ाद कराकर एक ईश्वर का भक्त और बंदा बनाएं। सच यह है कि जब मानव जाति एक है और उसका स्रष्टा, स्वामी, प्रभु भी एक ही है तो सारे मानवों का धर्म और मार्ग भी 'एक' ही हो सकता है तथा इसी मार्ग पर चलकर हम सब 'एक' हो सकते हैं।

ईश-मार्गदर्शन

सर्वशक्तिमान, दयावान और कृपाशील ईश्वर ने सारे इंसानों का मार्गदर्शन किया है, इसलिए उसके सिखाए हुए मार्ग से उत्तम कोई मार्ग हो ही नहीं सकता और न ही उसकी शिक्षाओं के मुक़ाबले में कोई और शिक्षा कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी और लोक-परलोक को संवारने वाली हो सकती है।

ईशदूतों की भूमिका

ईश्वर की ओर से संदेशवाहक अथवा पैग़म्बर तथा ऋषि-मुनि इतिहास के अनेक चरणों में आते रहे हैं और इंसानों को सच्चे धर्म की शिक्षा देकर उनके मन की भ्रांतियों को दूर करते एवं

उन्हें सीधा मार्ग दिखाते रहे हैं। दुनिया सदैव उनकी आभारी रहेगी। पैग़म्बरी (ईशदूतत्व) के सिलसिले की आख़िरी कड़ी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) हैं। आपने पिछले तमाम ईशदूतों और उनकी लाई हुई शिक्षाओं की पुष्टि की, लेकिन उन शिक्षाओं में जो विकार और बिगाड़ उत्पन्न कर दिया गया था और इसके कारण लोगों में विचार एवं धारणा की जो ख़राबियां पैदा हो गई थीं एवं व्यावहारिक जीवन में जो ज़ुल्म और अत्याचार फैल गया था, उन सबके विरोध में आवाज़ उठाई और बताया कि लोगों तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अंधकार और अज्ञान को छोड़कर अपने रब को पहचानो और उसी के मार्ग पर चलो।

एकेश्वरवाद से विमुखता

कितने अफ़सोस और आश्चर्य की बात है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को भूलाकर या उससे बेगाना (निस्पृह) होकर दूसरों को उपास्य बना बैठा है।

उसने अपनी कल्पनाओं के सहारे ईश्वर की सत्ता और प्रभुता में अनेक साझेदार शामिल कर लिए हैं। यह भी देखने में आता है कि ईश्वर ने जो चीज़ें स्वयं बनाई हैं, उसको ही पूजनीय और आराध्य समझ लिया जाता है और उन्हें बनाने एवं पैदा करने वाले की ओर रुजू नहीं किया जाता। उसकी पूजा और उपासना नहीं की जाती, जबकि पूजा और उपासना का वास्तविक अधिकारी वही है। यह ईश्वर के प्रति कृतघ्नता है कि उसे छोड़कर दूसरों को उपास्य बनाया जाए। जो इंसान को पैदा करे, उसके लिए अनेकानेक चीज़ों की व्यवस्था करे, उसे रोज़ी दे, उसे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाए, फिर भी यदि इंसान अपने पालनहार को न पहचाने और उसकी पूजा उपासना न करे, उससे विमुख हो जाए, उसके प्रति आभार न प्रकट करे तो न वह अपने पैदा करने वाले पूज्य प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है और न ही वह अपने जीवन को सफल बना सकता है।

यदि धर्म को विशुद्ध ईशोन्मुखी करके इसके दिए सार्वभौमिकता और व्यापकता को अनिवार्य माना जाए तो इसमें अनेकता और विधाता की कोई संभावना नहीं रह जाती। वैश्विक भाईचारा स्थापित हो सकता है और समाज की अनेक छोटी व बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।



ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने इंसानों को जो मार्ग दिखाया वह कोई नया नहीं, बल्कि आदिकाल से ही एकमात्र सच्चा मार्ग रहा है और भविष्य में भी उसके अतिरिक्त कोई और सत्य मार्ग नहीं। आपका प्रमुख संदेश यही रहा है कि–"इंसानो! रब को पहचानो।" आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने रब को पहचानें, क्योंकि-वही हमारा स्रष्टा है, पूज्य प्रभु है, पालनहार है, वही हम सबका रब है और हम सब उसके, मात्र उसी के दास व उपासक हैं। वह बड़ा ही उदार है। वही आजीविकादाता है। वही परलोक में न्याय के दिन का मालिक है। वही सर्वोत्तम सहायक व संरक्षक है। वही सर्वशक्तिमान है और केवल वही उपास्य है।

पवित्र क़ुरआन के शब्दों में–

"सत्ता और अधिकार तो बस ईश्वर का है। उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो। यही सीधा, सच्चा दीन (धर्म) है, किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते।"

(क़ुरआन, 12:40)

■■



“अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।” (हदीस : बुख़ारी)

with best compliment from

Aaniya Khan [Goa]





मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस



ग़ज़्ज़ा के मलबे में

दफ़्न हुए मानवाधिकार

हर साल 10 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अधिकारों की श्रृंखला में मानवाधिकार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं, क्योंकि हम मानव हैं वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य भेदभाव के बिना, ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी के लिए प्रकृति प्रदत्त हैं। मानवाधिकार का मुद्दा अपनी डफली अपना राग का नहीं है। इसकी व्याख्या अपने हितों या अपने तरीक़े से नहीं की जा सकती। मानवाधिकार शाश्वत मूल्य हैं। इसे व्यक्तिगत हित साधने में उपयोग में लाना किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

सैद्धांतिक रूप से विश्व की महाशक्तियों तथा संस्थाओं सहित पूरी दुनिया का यह मानना है कि इन अधिकारों का अतिक्रमण, विश्व के किसी भी देश या किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हाल में ही पश्चिम एशिया में हमने मानवाधिकार के तमाम मूल्यों और नियमों को स्वाहा होते देखा।

सैद्धांतिक रूप से विश्व की महाशक्तियों तथा संस्थाओं सहित पूरी दुनिया का यह मानना है कि इन अधिकारों का अतिक्रमण, विश्व के किसी भी देश या किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया किया जाना चाहिए, लेकिन हाल में ही पश्चिम एशिया में हमने मानवाधिकार के तमाम मूल्यों और नियमों को स्वाहा होते देखा।

ग़ज़्ज़ा के असहाय नागरिकों पर अपनी अंधाधुंध बमबारी को इस्राईल सही ठहराता रहा और तथाकथित सभ्य दुनिया देखती रही। ये वही लोग हैं, जो दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं। एक खुले क़ैदख़ाने में भोजन, दवा, पानी और बिजली से वंचित 23 लाख फ़िलिस्तीनी जनता पर इस्राईली बर्बरता को इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा।

स्कूल और अस्पताल दो ऐसी जगहें हैं, जिन्हें दुनिया भर में सबसे



सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ग़ज़्ज़ा पट्टी में जब पनाह लिए, इलाज करवा रहे फ़िलिस्तीनियों पर राकेट गिराए गए तो लगा कि बीसवीं सदी के समस्त मानवीय मूल्यों की हत्या हो गई। ऐसा लगा जैसे यह दुनिया उलटी दिशा में बदल रही है। दुनिया की हर सभ्यता ने युद्ध को नैतिकतावादी दृष्टि से शुद्ध रखने के लिए कुछ नियम बनाए। युद्ध में भी मर्यादा की रेखा खींची गई कि अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं होंगे। जहां मरीज़ और बच्चे हों वहां बम नहीं बरसाए जाएंगे। इस्राईली बमों से न केवल ग़ज़्ज़ा के अस्पताल बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय नियम और क़ानून भी भस्म हो गए। पूरी ग़ज़्ज़ा पट्टी को एक खुला ताबूत बना दिया गया। एक इंच ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी गई जिसे सुरक्षित कहा जा सके। समस्त मानवीय मूल्यों पर ही राकेट बरसा दिए गए।

उन्मादी युद्ध की गर्जनाओं के बीच वहां के नागरिक असहाय दिखे। वहां के हर नागरिक के सिर पर मौत का नंगा नाच होता रहा है, क्योंकि वे एक ख़ास भूगोल में रह रहे हैं, जिसके इतिहास को वर्तमान राजनीति अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है। इस लेख के लिखे जाने तक इस्राईली सेना की अंधाधुंध बमबारी में दस हज़ार से अधिक आम नागरिक शहीद हो चुके हैं, जिसमें अधिकतर मासूम बच्चे हैं। इसके अलावा 36 से ज़्यादा पत्रकार और यूएनआरडब्ल्यूए से जुड़े क़रीब 75 अधिकारी और कार्यकर्ता भी अपनी जान गंवा चुके हैं।

ग़ज़्ज़ा में मानवाधिकारों का जो अंधापन देखने को मिला, इतिहास सदैव उसका साक्षी रहेगा। पश्चिमी नेता

स्कूल और अस्पताल दो ऐसी जगहें हैं, जिन्हें दुनिया भर में सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ग़ज़्ज़ा पट्टी में जब पनाह लिए, इलाज करवा रहे फ़िलिस्तिनियों पर राकेट गिराए गए तो लगा कि बीसवीं सदी के समस्त मानवीय मूल्यों की हत्या हो गई। इस्राइली बमों से न केवल ग़ज़्ज़ा के अस्पताल बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय नियम और क़ानून भी भस्म हो गए। पूरी ग़ज़्ज़ा पट्टी को एक खुला ताबूत बना दिया गया। एक इंच ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी गई जिसे सुरक्षित कहा जा सके। समस्त मानवीय मूल्यों पर ही राकेट बरसा दिए गए।

एकजुटता दिखाने के लिए इस्राईल जाते रहे, लेकिन वे ग़ज़्ज़ा में फ़िलिस्तीनियों के प्रति अपनी करुणा और दयालुता क्यों नहीं दिखा सके? क्या वे इंसान नहीं हैं? उनके दुख और कष्ट कोई मायने नहीं रखते? ग़ज़्ज़ा की एक फ़िलिस्तीनी मां का दुख-दर्द इस्राईल की एक मां के दुख-दर्द से कम महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए?

पश्चिम एशिया में उभरे मौजूदा संकट के बीच जब संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक समझदारी भरा बयान दिया तो उन्हें इस्राईल द्वारा अपमानित किया गया। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि, "7 अक्तूबर को हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ। वस्तुतः यह 75 वर्षों से इस्राईल-अमेरिकी प्रभुत्व की रणनीति का स्वाभाविक परिणाम है, जिसे बचाए रखने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इस्राईल की तरफ़ दौड़ पड़े और वे इस्राईली युद्ध अपराध के पक्ष में खड़े हैं।"

ज्ञात रहे कि गुटेरेस के इस बयान के बाद इस्राईल ने उनसे तुरंत इस्तीफ़ा देने की मांग कर डाली। यही नहीं इस्राईल ने संयुक्त राष्ट्र को सबक़ सिखाने के लिए उसके पदाधिकारियों तथा संयुक्त राष्ट्र मानवीय संयोजक (यूएन ह्यूमनेटेरियन को-ऑर्डिनेटर) मार्टिन ग्रिफिथ्स तक के यात्रा वीज़ा रद्द करने और किसी पदाधिकारी को इस्राईल में नहीं आने देने की धमकी दे डाली। वास्तविकता यह है कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का यह बयान कि, "हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ" अपने निहितार्थ हैं। हर व्यक्ति उनके शब्दों का अर्थ समझता है, समझ चुका है कि हमास की कार्रवाई के लिए इस्राईल ज़िम्मेदार है। इसलिए पश्चिम एशिया संकट पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दृष्टिकोण तार्किक होने के साथ-साथ उचित भी है।



आधुनिक दुनिया के अभी तक के इस सबसे लंबे संघर्ष का दोनों पक्षों के नागरिकों की शांति और सुरक्षा में स्थायी हल निकले, यह चिंता भी उनके इस बयान में शामिल थी। उन्होंने कई हफ़्तों से इस्राईली हवाई हमलों में मारे जा रहे हज़ारों निर्दोष नागरिकों के प्रति चिंता व्यक्त की और युद्ध के अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन की भी गुहार लगाई है, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इस्राईल और उसके समर्थक देशों को फ़िलिस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चिंता की कोई परवाह नहीं।

संयुक्त राष्ट्र की कमियों, कमज़ोरियों और विफलताओं का एक अलग अध्याय है, लेकिन यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों का एकमात्र मंच है। इसलिए बेहतर विकल्प अस्तित्व में आने तक हर देश की इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन इस्राईल की इस भाषा और रुख़ से संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र की और पद के रूप में महासचिव की खुली अवमानना व्यक्त होती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव, जैसे भी हैं, को सरेआम धमकाना और नीचा दिखाना कोई गंभीर बात नहीं है? क्या संयुक्त राष्ट्र मात्र एक सजावटी संस्था बनकर रह गई है? क्या दुनिया सचमुच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के तर्क से चल रही है?

इस्राईल अपने जन्म के साथ ही विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। उसने फ़िलिस्तीन की भूमि पर अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से क़ब्ज़ा कर रखा है और उनके समर्थन से अब इस ज़मीन से फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। इसलिए इस्राईली अत्याचार के विरुद्ध फ़िलिस्तीनियों का पलटवार एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। विवाद की अस्ल जड़ इस्राईल की ख़तरनाक विस्तारवादी सोच है। वह फ़िलिस्तीन की जनता को वहां से निर्वासित करके पूरी फ़िलिस्तीनी धरती पर क़ब्ज़ा जमा लेना चाहता है।

इतिहास में जहां इस्राईल द्वारा ढाए गए ज़ुल्म और बर्बरता को घृणा के साथ देखा जाना चाहिए वहीं फ़िलिस्तीन के लुटे पिटे मारे गए नागरिकों की जिजीविषा को सम्मान के साथ याद रखा जाना चाहिए। "दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा हो और अत्याचारियों और विस्तारवादियों की पराजय हो।" ऐसी मंगल कामना हम सभी को करनी चाहिए।

यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस्राईल के अत्याचार को रोक पाने में न्यायिक इच्छाशक्ति का परिचय देता, तो शायद फ़िलिस्तीनी पलटवार के ऐसे क़दम न उठाते जो उन्हें मजबूरी में उठाने पड़े। फ़िलिस्तीन समस्या विगत 75 वर्षों से चल रही है। यदि कभी संयुक्त राष्ट्र ने कोई प्रस्ताव पारित भी किया तो इस्राईल ने उसे स्वीकार करने से साफ़ इन्कार कर दिया और पूरी दुनिया मूकदर्शक बनी रही। यही कारण है कि इस विवाद का अब तक कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकल सका है।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विश्व की कुछ बड़ी शक्तियां अपने-अपने हितों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ख़तरनाक खेल खेलती आई हैं, जिसके कारण फ़िलिस्तीन की जनता निरंतर इस्राईल के अवैध क़ब्जे और क्रूरता का शिकार होती आई है। शांति के हर प्रयास को इस्राईल विफल करता रहा है और 75 वर्षों से न केवल अपना विस्तार कर रहा, बल्कि फ़िलिस्तीनियों पर ज़ुल्म के



पहाड़ भी तोड़ रहा है। 75 वर्षों से लाखों फ़िलिस्तीनी अपनी ही ज़मीन में बने शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यानी देशवासियों पर अपनी ही मातृभूमि में ज़मीनें सिमट चुकी हैं।

फ़िलिस्तीन की स्वाभिमानी जनता अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए वर्षों से अपने प्राणों का बलिदान देती आ रही है। जहां तक भारत का संबंध है, उसने हमेशा शांति की स्थापना और फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात की है। राष्ट्रपिता गांधीजी और पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी बाजपेयी तक सभी ने हमेशा फ़िलिस्तीनी हितों का समर्थन किया है, लेकिन समय की विडम्बना देखिए कि आज भारत में भी स्थितियां बदल गई हैं।

फ़िलिस्तीनियों का संघर्ष अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए है। इसके उलट इस्राईल द्वारा एक राष्ट्र का नरसंहार किया जा रहा है और दुनिया में मानवाधिकार तथा आधुनिक सभ्यता के झंडावाहक इस नरसंहार में अपना योगदान देने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तथाकथित मानवाधिकारवादी देशों का दानवी रूप पूरी दुनिया के लाखों लोगों ने देखा। इस विध्वंस के बीच 23 लाख फ़िलिस्तीनी जनता ने जिस साहस और जिजीविषा का परिचय दिया है। वह मनुष्यता के इतिहास की अमर गौरव गाथा है। इतिहास में जहां इस्राईल द्वारा उन पर ढाए गए ज़ुल्म और बर्बरता को घृणा के साथ देखा जाना चाहिए वहीं फ़िलिस्तीन के लुटे-पिटे मारे गए नागरिकों की जिजीविषा को सम्मान के साथ याद रखा जाना चाहिए। "दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा हो और अत्याचारियों और विस्तारवादियों की पराजय हो।" ऐसी मंगल कामना हम सभी को करनी चाहिए। ■■



दीवारों में घुटता जीवन

अभिमत



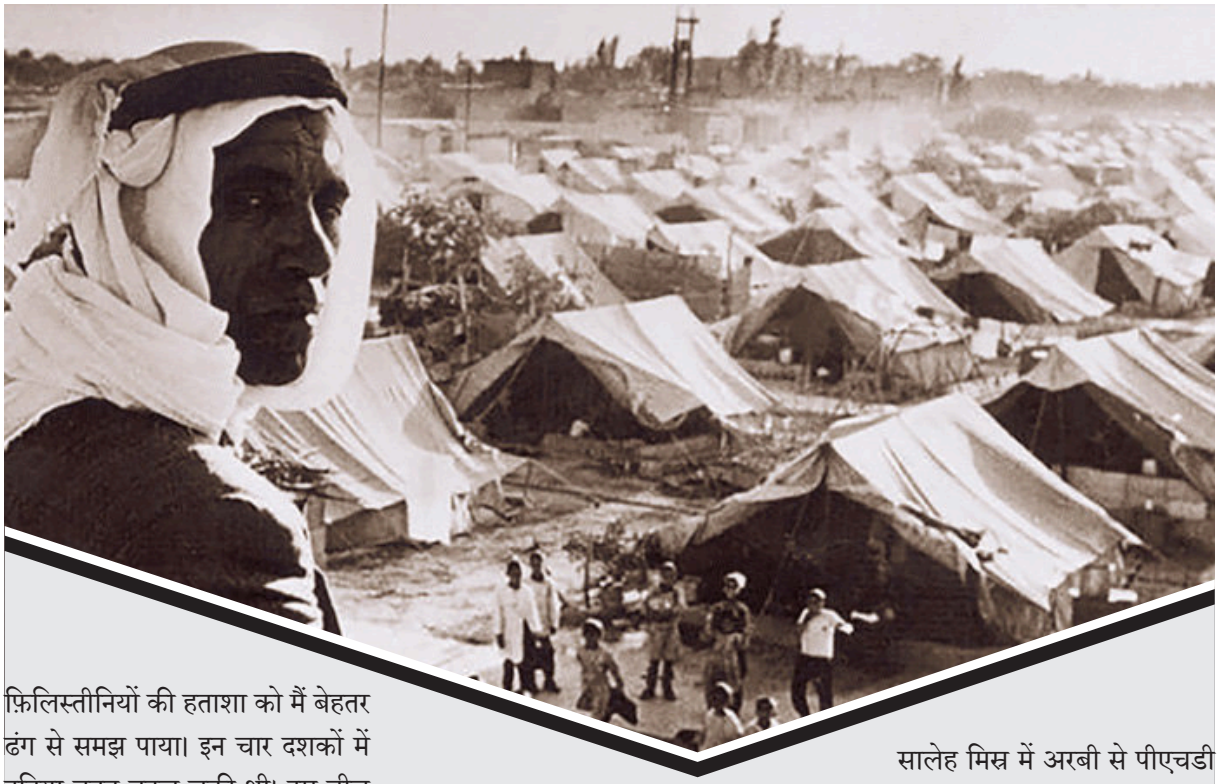
निकोलस क्रिस्टॉफ

उनसे मिलकर मुझे बहुत ख़ुशी हुई, लेकिन इस मुलाकात में आम फ़लस्तीनियों की हताशा को मैं बेहतर ढंग से समझ पाया। इन चार दशकों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। इस बीच मेरा एक भरा पूरा कॅरियर था जबकि पहले की तरह अब भी उन दोनों का कोई अपना देश नहीं था, वे उसी शरणार्थी शिविर में रह रहे थे।

वर्ष 1982 में जब मैं क़ानून की पढ़ाई करने के दौरान कंधे पर बैग लटकाए पश्चिम एशिया में घूमता रहता था, तब पश्चिमी तट पर मेरी मुलाक़ात विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो युवाओं से एक स्थानीय बस में हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया, तो मैं उन्हीं के साथ उनके घर चला गया, जो सघन आबादी वाले डियेशेई रिफ्यूजी कैंप में था। हमने अच्छा समय बिताया। उन दोनों ने जब बताया कि बेथलेहम यूनिवर्सिटी में वे अरबी पढ़ते हैं, तो थोड़े समय के लिए मैंने भी अरबी पढ़ने के बारे में सोचा। तब हम युवा थे और पढ़ाई करके कुछ बनने का सपना देख रहे थे। मैंने अपनी डायरी में उनके नाम लिख लिए थे, लेकिन फिर कभी उनसे मुलाक़ात नहीं हुई।

41 साल बाद पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट के दौरान मुझे उन दोनों की याद आई। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उनके नाम लिखे थे। मैं सोचने लगा : क्या वे दोनों जीवित हैं? हो सकता है, वे कहीं और चले गए हों। अगर वे जीवित हैं, तो इस्राईल, हमास और अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं? डियेशेई रिफ्यूजी कैंप कवर करने वाले स्थानीय रिपोर्टर की मदद से मैं उन दोनों को ढूंढ़ने में सफल हो गया। इनमें से सालेह मोलेम 63 साल के, जबकि महमूद कराकेई 60 साल के हैं। वे दोनों आसानी से इसलिए भी मिल गए, क्योंकि फ़िलिस्तीनी शरणार्थी जल्दी अपना ठिकाना नहीं बदलते। वे अब भी इसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और एक बार फिर अपने घर पर आमंत्रित किया।

उनसे मिलकर मुझे बहुत ख़ुशी हुई, लेकिन इस मुलाक़ात में आम



फ़िलिस्तीनियों की हताशा को मैं बेहतर ढंग से समझ पाया। इन चार दशकों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। इस बीच मेरा एक भरा पूरा करियर था और यात्राओं, अध्ययन और संवादों के ज़रिये मैं इस बदली हुई दुनिया को बेहतर ढंग से जान रहा था। जबकि पहले की तरह अब भी उन दोनों का कोई अपना देश नहीं था, वे उसी शरणार्थी शिविर में रह रहे थे और इस्राईली नागरिकों व सैनिकों से भयभीत थे। उससे भी बदतर यह की 1982 की तुलना में उन्हें बहुत कम स्वतंत्रता थी।

चार दशक पहले वे इस्राईल में कहीं भी जा सकते थे और काम कर सकते थे। सप्ताहांत की छुट्टी में इस्राईली समुद्र तटों पर बिता सकते थे। तब महमूद ने कहा भी था की छुट्टी के दिन में तिल अबीव चला जाता हूं, लेकिन अब उन्हें अपने ही इलाक़े में नाकेबंदियों से गुज़रना पड़ता है। उन्हें जो पास दिए जाते हैं, उनके ज़रिये पश्चिमी तट में आवाजाही करना ही बहुत मुश्किल है। इस्राईली प्राधिकरण द्वारा सड़क बंद कर दिए जाने से मैं भी उनके घर तक नहीं पहुंच सका। लिहाज़ा हम बेथलेहम के एक रेस्टोरेंट में बैठे।

हालांकि वहां तक जाने के लिए इस्राईल की गाड़ी मुझे एक बंद सड़क पर रोक देनी पड़ी। वहां से मैं एक ऊंची जगह पर पहुंचा, जहां से फ़िलिस्तीनी टैक्सी से मैं रेस्टोरेंट तक गया। "मैं कहीं नहीं जा पाता। मुझे डॉक्टर को दिखाना है, जो पश्चिमी तट पर ही बैठते हैं, लेकिन सड़क बंद होने से मैं नहीं जा पा रहा,'' महमूद ने मुझे कहा। हालांकि इस्राईलियों का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों को आज अगर कम आज़ादी है, तो इसके लिए वही ज़िम्मेदार हैं। वे याद दिलाते हैं कि फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों की अंधाधुंध बमबारी के कारण ही नाकेबंदी की गई। आज वही फ़िलिस्तीनी ख़ुशक़िस्मत है, जो मर चुका है,' सालेह ने मुझ से कहा।

सालेह मिस्र में अरबी से पीएचडी करना चाहते थे, जबकि महमूद स्पेन जाकर स्पेनिश में एम.ए. करना चाहते थे, लेकिन वे कहते हैं कि इस्राईली आक्रामकता ने उनके सपने तोड़ दिए। ऐसे में, वे पश्चिमी तट के माध्यमिक स्कूल में शिक्षक हो गए, लेकिन इस्राईली प्राधिकरण ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। दरअस्ल महमूद को कर्फ़्यू तोड़ने के जुर्म में 18 दिन जेल में रहना पड़ा था। इसी आधार पर उसकी नौकरी चली गई। सालेह के मुताबिक़, उसकी गिरफ़्तारी कभी नहीं हुई, लेकिन इस्राईली अधिकारियों ने उसे इसलिए हटा दिया, क्योंकि वह फ़िलिस्तीनी छात्रों को इस्राईली सैनिकों पर पत्थर फेंकने से नहीं रोक पाया था। बाद में दोनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए चलाए जाने वाले स्कूल में नौकरी मिली, लेकिन अब ये दोनों रिटायर हो चुके हैं।

राजनीति पर बात करते हुए हमें

मैंने उनसे पूछा कि ग़ज़्ज़ा में हो रही बमबारी पर पश्चिमी तट ग़ुस्से में उबल रहा है या नहीं। इस पर सालेह ने कहा, “दीवारों के अंदर लोगों का दम घुटता है, इसलिए बीच-बीच में वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने खुले में निकल पड़ते हैं।” भोजन के बाद मैंने उन दोनों से विदा ली। मैंने उनसे मज़ाक़ करते हुए कहा, ‘हम 41 साल बाद फिर मिलेंगे।’ उन दोनों ने कहा कि अगले कुछ घंटे वे जी पाएंगे या नहीं, इसी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे बीच फिर सन्नाटा छा गया।

एक-दूसरे पर कोफ़्त हो रही थी। वे दोनों दावे के साथ कह रहे थे कि ग़ाज़ा के अस्पताल पर इस्राईल ने सुनियोजित तरीक़े से हमला किया था, जबकि अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर मुझे अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के दावे पर पक्का भरोसा था कि अस्पताल पर हवाई हमला इस्राईल ने नहीं किया था। मैंने उनको हमास के बर्बर हमले की याद दिलाते हुए कहा कि उससे कितने इस्राईली नागरिक मारे गए और अनेक लोगों का अपहरण कर लिया गया। सालेह और महमूद ने कहा कि इस्राईलियों की मौत से वे



दुखी हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य यह देखकर होता है कि उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनियों की मौत पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ख़ामोश है। दरअस्ल, हमास की बर्बरता के बारे में बोलने के कारण वे दोनों मुझ से निराश थे, जबकि मैं उन दोनों से अप्रसन्न इसलिए था, क्योंकि वे हमास की बर्बरता पर चुप थे। अचानक महमूद ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा ‘हम किसी से नफ़रत नहीं करते। हम सिर्फ़ अपने जीवन में आज़ादी चाहते हैं।’

मैंने उनसे पूछा कि ग़ाज़ा में हो रही बमबारी पर पश्चिमी तट ग़ुस्से में उबल रहा है या नहीं। इस पर सालेह ने कहा, “दीवारों के अंदर लोगों का दम घुटता है, इसलिए बीच-बीच में वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने खुले में निकल पड़ते हैं।” भोजन के बाद मैंने उन दोनों से विदा ली। मैंने उनसे मज़ाक़ करते हुए कहा, ‘हम 41 साल बाद फिर मिलेंगे।’ उन दोनों ने कहा कि अगले कुछ घंटे वे जी पाएंगे या नहीं, इसी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे बीच फिर सन्नाटा छा गया।

हम विदा हुए, लेकिन इस विदाई में 40 साल पहले की गर्मजोशी नहीं थी। ये दोनों आम फ़िलिस्तीनी थे, जिन्होंने भले ही इस संघर्ष में अपने परिजनों को नहीं खोया, लेकिन अपनी आज़ादी में खो चुके थे। लौटते हुए मैं याद करने लगा की जवानी में ये दोनों उम्मीद से भरे थे और एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच रहे थे, जहां फ़िलिस्तीनी और इस्राईली एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहेंगे। उनके जीवन में आए ऐसे बदलाव को देखना दुखद था। इस बीच सालेह और महमूद पिता और दादा तो बन गए, लेकिन उनका सपना टूट कर बिखर गया।

(साभार : द न्यूयॉर्क टाइम्स)

■■

मानवाधिकारों की सर्वोत्तम संकल्पना

समाधान



प्रो. शेख़ मोईन रज़ा

मानवाधिकार मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार होते हैं। आधुनिक दुनिया में, राज्य या शासकीय निकाय को ऐसे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। इसे बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उपाय किए गए हैं। यहां उन उपायों या नियमों के विस्तार में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहां मैं धर्म के चश्मे से मानवाधिकारों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दूसरा बिंदु जो मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहूंगा, वह यह है कि जब हम धर्म में मानवाधिकारों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह होता है कि ये अधिकार ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन्हें किसी राजा या किसी विधानसभा द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। राजाओं या विधानसभाओं द्वारा प्रदत्त अधिकार जिस प्रकार दिए जाते हैं, उसी प्रकार वापस भी लिये जा सकते हैं। तानाशाहों द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त अधिकारों का भी यही हाल है।

विश्व इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ-साथ आधुनिक समय की वास्तविकताओं को सामने रखने पर मानव अधिकार में इस्लाम के योगदान की हमेशा सराहना की जाती है। जब हम इस्लाम में मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि ये अधिकार हमें सर्वशक्तिमान अल्लाह (ईश्वर) द्वारा दिए गए हैं, किसी राजा या किसी विधायी क़ानून द्वारा नहीं।

क़ुरआन इस्लामी न्यायशास्त्र का प्राथमिक स्रोत है। क़ुरआन में,



सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कहा है-

"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहां तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है।'' (क़ुरआन, 49:13)

इस आयत के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्यों के बीच एकमात्र अंतर करने वाले कारक सदाचार और पवित्रता हैं, न कि उनका रंग, नस्ल या जाति। अब आइए मानवाधिकार के प्रश्न पर नज़र डालें। यह बहुत ज़ोर-शोर से दावा किया जाता है कि दुनिया को बुनियादी मानव अधिकारों की अवधारणा ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से मिली, हालांकि मैग्ना कार्टा इस्लाम के आगमन के सदियों बाद अस्तित्व में आया।

आधुनिक समय में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा की और नरसंहार के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पारित किया और इसे रोकने के लिए नियम बनाए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का एक भी प्रस्ताव या विनियमन ऐसा नहीं है जिसे ठीक से लागू किया जा सका। संयुक्त राष्ट्र के तमाम बड़े-बड़े महत्वाकांक्षी संकल्पों के बावजूद जगह-जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और उन्हें कुचला गया है और संयुक्त राष्ट्र असहाय देखता रहा। यहां तक कि तमाम घोषणाओं के

बावजूद नरसंहार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता रहा है।

इस्लाम की मानवाधिकारों संबंधी अवधारणाओं के अनुसार, मानवाधिकार इस्लामी आस्था का अभिन्न अंग है। प्रत्येक मुस्लिम या प्रशासक जो स्वयं को मुस्लिम होने का दावा करते हैं, उन्हें इन्हें स्वीकार करना होगा, पहचानना होगा और लागू करना होगा। यदि वे उन्हें लागू करने में विफल रहते हैं, और ईश्वर द्वारा गारंटीकृत अधिकारों से इन्कार करना शुरू कर देते हैं या उनमें संशोधन और परिवर्तन करते हैं, या दिखावा करते हुए व्यावहारिक रूप से उनका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी सरकारों के लिए पवित्र क़ुरआन का फ़ैसला स्पष्ट है-

"जो लोग उस विधान के अनुसार फ़ैसला न करें जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो ऐसे ही लोग विधर्मी और अत्याचारी हैं।'' (क़ुरआन, 5:44-45)

क़ुरआन इंसानों को समान रूप से मूल्यवान मानता है और केवल इंसान होने के नाते उन्हें बहुत से अधिकार देता है। इसमें जीने के अधिकार के साथ-साथ संपत्ति के स्वामित्व, सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। इसमें अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के अधिकारों के अलावा युद्ध में और युद्धबंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस आशय के नियम भी शामिल हैं। इसमें दुश्मन के बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी संरक्षण के आदेश हैं। क़ुरआन कहता है-

"...और ऐसा न हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो। इन्साफ़ करो, यही धर्मपरायणता से अधिक निकट है।'' (क़ुरआन, 5:8)

क़ुरआन के अनुसार, जीवन मानवता के लिए एक ईश्वरीय उपहार है, जिसे हर तरह से सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। क़ुरआन क़ानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन लेने से मना करता है। क़ुरआन कहता है कि-

"इसी कारण हमने इस्राईल की संतान के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान दिया।'' (क़ुरआन, 5:32)

यह उन अधिकारों का एक संक्षिप्त विवरण है जो चौदह सौ साल पहले इस्लाम ने सभी मनुष्यों, यहां तक कि एक-दूसरे के साथ युद्ध करने वालों को भी दिया है। इस्लाम ने युद्ध के जो शिष्टाचार बताए हैं, उनकी हैसियत एक क़ानून की है। क्योंकि यह पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के दिए हुए निर्देश हैं। युद्ध के दौरान जिसका पालन करना मुसलमानों का कर्तव्य है।

युद्ध न करने वालों के अधिकार : इस्लाम में सर्वप्रथम शत्रु राष्ट्र की जंग में भाग लेने वाली (Combatant) और जंग में भाग न लेने वाली (Non-Combatant) आबादी के बीच स्पष्ट फ़र्क़ किया गया है। जहां तक जंग न करने वाली आबादी (मतलब जो आबादी जंग लड़ने वाली नहीं है या जंग लड़ने के क़ाबिल नहीं है। जैसे औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, अंधे, अपाहिज आदि) की बात है तो उसके संदर्भ में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं।

1. जो जंग लड़ने वाले नहीं हैं, उनको क़त्ल न किया जाए।

2. किसी बूढ़े, किसी बच्चे और किसी औरत को क़त्ल न करो।

3. मठों में बैठे जोगियों को क़त्ल न करो। (या इबादतगाहों में बैठे हुए लोगों को न मारो।)

4. जंग न लड़ने वाले को क़त्ल न किया जाए, जंग में एक मौक़े पर पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने एक औरत की लाश देखी तो फ़रमाया, 'यह तो नहीं लड़ रही थी।' इससे पता चलता है कि जो लोग जंग लड़ने वाले न हों उनको क़त्ल न किया जाए।

युद्ध करने वालों के अधिकार : इसके बाद देखते है कि जंग लड़ने वालों को इस्लाम ने क्या अधिकार दिए हैं?

1. आग का अज़ाब न दिया जाए: हदीस में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है कि, "आग का अज़ाब देना (नरक के रूप में) आग के रब के सिवा किसी को शोभा नहीं देता।'' इससे यह हुक्म पता चलता है कि शत्रु को ज़िंदा न जलाया जाए।

2. ज़ख़्मी पर हमला न किया जाए : इससे यह अभिप्राय है कि जंग लड़ने वाला वह ज़ख़्मी जो लड़ने के क़ाबिल न रहा हो, न अमली तौर पर लड़ रहा हो उस पर भी हमला न किया जाए।

3. किसी क़ैदी को क़त्ल न किया जाए।

4. बांध कर क़त्ल न किया जाए : पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बांध कर क़त्ल करने या क़ैद की हालत में क़त्ल करने से मना फ़रमाया है।

5. शत्रुओं के देश में लूटमार न की जाए : इस्लाम ने यह आदेश भी दिया है कि शत्रु के देश में दाख़िल होने के बाद तबाही न मचाओ। बस्तियों को वीरान न करो, सिवाय उन लोगों के जो तुम से लड़ते हैं और किसी आदमी के माल पर हाथ न डालो। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने जंग के दौरान लूटमार से मना

किया है और आप (सल्ल.) का फ़रमान था कि, 'लूट का माल मुरदार की ही तरह, हराम है।' हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) (इस्लाम के पहले ख़लीफ़ा) फ़ौजों को रवाना करते समय आदेश दिया करते थे कि, "बस्तियों को वीरान न करना, खेतों और बाग़ों को बरबाद न करना, जानवरों को हलाक न करना।" (ग़नीमत के माल का मामला इससे अलग है। इससे मुराद वह माल है, जो दुश्मन के लश्करों, उसके फ़ौजी कैम्पों और उसकी छावनियों में मिले। उसको अवश्य इस्लामी फ़ौजें अपने क़ब्ज़े में ले सकती है, लेकिन वह लूटमार नहीं कर सकतीं।)

6. जीते हुए इलाक़े के लोगों से कोई चीज़ मुफ़्त या बिना अनुमति के न ली जाए : इस बात से भी मना कर दिया गया कि आम आबादी की किसी वस्तु से, मुआवज़ा अदा किये बग़ैर लाभ न उठाया जाए। जंग के दौरान यदि शत्रु के किसी इलाक़े पर क़ब्ज़ा करके मुसलमानों की फ़ौज वहां ठहरी हो, तो उसको यह अधिकार नहीं कि वह लोगों की चीज़ों का बे-रोक-टोक उपयोग करे। यदि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो ख़रीद कर लेना चाहिए या उस वस्तु के मालिक की अनुमती लेकर उसका उपयोग करना चाहिए। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) फ़ौजों को रवाना करते समय यहां तक फ़रमाते थे कि, "दूध देने वाले जानवरों का दूध भी तुम नहीं पी सकते, जब तक कि उनके मालिकों से अनुमति न ले लो।"

7. शत्रु की लाशों पर गुस्सा न निकाला जाए : इस्लाम में इस बात से भी मना किया गया है कि शत्रु की लाशों का अनादर किया जाए या उनकी गत बिगाड़ी जाए। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने दुश्मनों की लाशों की काट, पीट या गत बिगाड़ने से मना फ़रमाया है। यह आदेश जिस मौक़े पर दिया गया, वह भी बड़ा सबक़-आमोज़ है। उहुद की जंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे, दुश्मनों ने उनकी नाक काट कर उनके हार बनाए और गलों में पहने। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के चचा हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) का पेट चीर कर उनका कलेजा निकाला गया और उसे चबाने की कोशिश की गई।

"इस्लाम में सर्व प्रथम शत्रु राष्ट्र की जंग में भाग लेने वाली (Combatant) और जंग में भाग न लेने वाली (Non-Combatant) आबादी के बीच स्पष्ट फ़र्क़ किया गया है। जहां तक जंग न करने वाली आबादी (मतलब जो आबादी जंग लड़ने वाली नहीं है या जंग लड़ने के क़ाबिल नहीं है। जैसे औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, अंधे, अपाहिज आदि)"

उस समय मुसलमानों का ग़ुस्सा चरम पर पहुंच गया था, मगर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया कि तुम शत्रु की लाशों के साथ ऐसा सुलूक न करना जैसा उन्होंने किया।

8. दुश्मन की लाशें उनके हवाले करना : अहज़ाब की जंग में शत्रुओं का एक बड़ा प्रसिद्ध घुड़सवार मरकर खाई में गिर गया। शत्रुओं ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के सामने दस हज़ार दीनार प्रस्तुत किए कि उसकी लाश हमें दे दीजिए। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया कि, 'मैं मुर्दे बेचने वाला नहीं हूं। तुम अपने आदमी की लाश ले जाओ।'

9. जंग से पहले जंग का ऐलान किया जाए : "अगर तुम्हें किसी क़ौम से ख़यानत (यानी संधि की प्रतिज्ञा तोड़ने) का ख़तरा हो तो उसकी प्रतिज्ञा खुल्लम-खुल्ला उसके मुंह पर मार दो।"

(क़ुरआन, 8:58)

इस आयत में इस बात से मना कर दिया गया है कि जंग के ऐलान के बग़ैर शत्रु के विरुद्ध जंग छेड़ दी जाए, सिवाय इसके कि दूसरे पक्ष ने आक्रामक कारवाईयां आरंभ कर दी हों। यदि दूसरे पक्ष ने घोषणा किए बग़ैर आक्रामक कारवाईयों की शुरुआत कर दी हो तो फिर हम बग़ैर ऐलान किए उसके विरुद्ध जंग कर सकते हैं, वरना क़ुरआन हमें यह आदेश दे रहा है कि ऐलान करके उसे बता दो कि अब हमारे और तुम्हारे बीच कोई संधि, प्रतिज्ञा बाक़ी नहीं रही और अब हम और तुम युद्ध में हैं।

उपर्युक्त अधिकार कुछ बुनियादी अधिकार हैं, जो सभी मनुष्यों को उपलब्ध हैं और इस्लाम ने इन अधिकारों की रोकथाम और सुरक्षा पर बहुत ज़ोर दिया है। ■■

साहिर लुधियानवी

कविता

ख़ून फिर ख़ून है



ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है
ख़ून फिर ख़ून है टपकेगा तो जम जाएगा
ख़ाक-ए-सहरा पे जमे या कफ़-ए-क़ातिल पे
फ़र्क़-ए-इंसाफ़ पे या पा-ए-सलासिल पे जमे
तेग़-ए-बे-दाद पे या लाशा-ए-बिस्मिल पे जमे
ख़ून फिर ख़ून है टपकेगा तो जम जाएगा
लाख बैठे कोई छुप-छुप के कमीं-गाहों में
ख़ून ख़ुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग़
साज़िशें लाख उड़ाती रहीं ज़ुल्मत की नक़ाब
ले के हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग़
ज़ुल्म की क़िस्मत-ए-नाकारा-ओ-रुस्वा से कहो
जब्र की हिकमत-ए-परकार के ईमा से कहो
महमिल-ए-मजलिस-ए-अक़्वाम की लैला से कहो
ख़ून दीवाना है दामन पे लपक सकता है
शोला-ए-तुंद है ख़िर्मन पे लपक सकता है
तुम ने जिस ख़ून को मक़्तल में दबाना चाहा
आज वो कूचा-ओ-बाज़ार में आ निकला है
कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर
ख़ून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से
सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से
ज़ुल्म की बात ही क्या ज़ुल्म की औक़ात ही क्या
ज़ुल्म बस ज़ुल्म है आग़ाज़ से अंजाम तलक
ख़ून फिर ख़ून है सौ शक्ल बदल सकता है
ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने
ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने
ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने।



आख़िरी सांसें गिनता इसाईल

दृष्टिकोण

अरी शावित
(यहूदी स्कॉलर, लेखक, पत्रकार)

ऐसा लगता है कि हमारा सामना इतिहास के सबसे ज़्यादा भड़के हुए लोगों से पड़ गया है और अब फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर उनका ही हक़ माने बिना कोई चारा नहीं है। मेरा ख़याल है कि हम बंद गली में दाख़िल हो चुके हैं और अब इसराईलियों के लिए फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर क़ब्ज़े को बनाए रखना, बाहर से आए यहूदियों को बसाना और अम्न बहाल करना मुम्किन नहीं रहा। इसी तरह ज़ायोनिज़्म में नयापन लाने का आंदोलन, लोकतंत्र का बचाव और राज्य में आबादी का फैलाव भी अब और नहीं चल पाएंगे। इन हालात में इस मुल्क में रहने का कोई मज़ा बाक़ी नहीं रहा और इसी तरह "डेली हारेट्ज़" में लिखना भी बदमज़ा हो गया है और "डेली हारेट्ज़" के पढ़ने में भी अब कोई आकर्षण बचा नहीं रहा। अब हमें वही करना पड़ेगा जो दो वर्ष पहले "रोगील अलफ़ार" ने किया था और वह यह देश छोड़कर बाहर चले गये थे।

इसराईल ने हमें अपनी पहचान नहीं दी, क्योंकि हर इसराईली नागरिक और हर यहूदी के पास बाहर के किसी न किसी देश का पासपोर्ट भी उसकी जेब में मौजूद है। इसकी वजह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि इसराईल का हर नागरिक मानसिक रूप से इस प्रक्रिया से गुज़रने के लिए तैयार है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि खेल ख़त्म हो चुका है और आपको चाहिए कि अपने दोस्तों को ख़ुदा हाफ़िज़ कहकर सनफ्रांसिस्को, बर्लिन या पैरिस के लिए निकल जाएं। इस तरह आप जर्मन क़ौमपरस्तों के बीच बैठकर या अमेरिका में अमेरिकी क़ौम परस्तों के बीच बैठकर कम-से-कम आराम से, सुकून और इत्मीनान से देख सकेंगे कि इसराईली राज्य दम तोड़ रहा है और अपनी आख़िरी सांसें ले रहा है। हमें अनिवार्य रूप से तीन क़दम पीछे हट कर यहूदी लोकतांत्रिक राज्य के डूबने के दृश्य देखने होंगे, क्योंकि समस्याएं अभी तक अपने समाधान से कोसों दूर हैं।

शायद अभी भी हम बंद गली से निकल सकते हैं, अभी भी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर क़ब्ज़ा ख़त्म किया जा सकता है, अभी भी मौक़े मौजूद हैं कि ज़ायोनिज़्म के आंदोलन में सुधार हो सकें, अभी भी लोकतंत्र की बहाली की संभावनाएं मौजूद हैं और अभी भी राज्य का विभाजन हो सकता है। मेरा दिल कहता है कि मैं बिनयामिन नेतन्याहू, लीबरमैन और न्यूनाज़ीस ((Net-anyahu, Lieberman and the neo-Nazis) की आंखें खोलूं और

इसराईली जनता जब से फ़िलिस्तीन में आबाद हुई है तब से ज़ायोनिज़्म आंदोलन उन्हें ऐतिहासिक तौर पर झूठ बोल-बोल कर यह धोखा दिए चला आ रहा है और ज़ायोनी कारिंदे होलोकास्ट को ग़ैरमामूली तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के बाद से इसराईली समुदाय को बार-बार यह झूठ कहते चले आ रहे हैं कि ख़ुदावंद ख़ुदा ने तुमसे फ़िलिस्तीन की ज़मीन का वादा कर रखा है और हैकले सुलैमानी (Temple of Solomon) भी, जो दरअस्ल मस्जिदे अक़्सा के नीचे मौजूद है। इस तरह टैक्स की भारी रक़में चूस-चूस कर भेड़िये एटमी शक्ति बन गए हैं।



उन्हें ज़ायोनिज़्म की तबाही व बर्बादी के दर्शन कराऊं। उन्हें यक़ीन दिलाऊं कि डोनाल्ड ट्रंप, कोशनर, बाइडन, बारक ओबामा और हिलरी क्लिंटन कभी फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर यह क़ब्ज़ा ख़त्म नहीं होने देंगे। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय यूनियन भी विदेशी यहूदियों की आबादकारी कभी भी नहीं रोकेंगे। बस पूरी दुनिया में अगर कोई इसराईली राज्य और इसराईली जनता को बचा सकता है तो वह ख़ुद इसराईली हैं, जिन्हें एक नवजात राजनीतिक समझौते के तहत हर हाल में स्वीकार करना होगा कि इस फ़िलिस्तीन के अस्ल मालिक फ़िलिस्तीनी ही हैं और यह उनका ही वतन है। मैं अपने इसी तीसरे रास्ते के पक्ष को ही ज़ोरदार तरीक़े से पेश करूंगा।

इसराईली जनता जब से फ़िलिस्तीन में आबाद हुई है तब से ज़ायोनिज़्म आंदोलन उन्हें ऐतिहासिक तौर पर झूठ बोल-बोलकर यह धोखा दिए चला आ रहा है और ज़ायोनी कारिंदे होलोकास्ट को ग़ैर-मामूली तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के बाद से इसराईली समुदाय को बार-बार यह झूठ कहते चले आ रहे हैं कि ख़ुदावंद ख़ुदा ने तुम से फ़िलिस्तीन की ज़मीन का वादा कर रखा है और हैकले सुलैमानी (Temple of Solomon) भी, जो दरअस्ल मस्जिदे-अक़्सा के नीचे मौजूद है। इस तरह टैक्स की भारी रक़में चूस-चूसकर भेड़िये एटमी शक्ति बन गए हैं।

अब तो तिलअबीब विश्वविद्यालय के शोधार्थी और बहुत से पश्चिमी विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि हज़ारों साल पहले हैकले-सुलैमानी का अस्तित्व ख़त्म हो चुका और कहीं भी उसका कोई नामो-निशान मौजूद नहीं है। आख़िरी बार 1968 ई. में ब्रिटिश स्कूल ऑफ़ आर्कियोलॉजी (British School of Archeology) यरुशलम की डायरेक्टर केथलीन कैबीनोस ने भी खोदाई करके हैकले-सुलैमानी के आसार तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी न मिला, जिसे इसराईली हैकले-सुलैमानी कहते हैं, उस तरह की इमारत के कई नक़्शे किताबों में मिलते हैं और फ़िलिस्तीन के कई स्थानों पर उसके निर्माण के साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन मस्जिदे-अक़सा के नीचे ऐसी किसी इमारत की सोच एक कल्पना के सिवा कुछ नहीं। इससे पहले उन्नीसवीं सदी के मध्य में भी "कैथलीन कीनोन" फ़िलिस्तीन इसी लिए आई थीं कि प्राचीन अह्दनामा की किताब के अनुसार उस स्थान की निशानदेही की जा सके जहां ये इमारत स्थापित की गई थी।

क्या यह ईसराईलियों के लिए किसी लानत से कम है कि मुक़द्दसियों, ख़लीलियों और नाबलूसियों से रोज़ाना छुरियों और चाक़ुओं जैसे थप्पड़ अपने चेहरों पर खाएं या उनके ड्राईवर जफ़ा, हैफ़ा और ऐसर जाते हुए पत्थरों पर पत्थर खाते होते हुए वहां पहुंचें।

अब इसराईली जान चुके हैं कि फ़िलिस्तीन में उनका कोई भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ़िलिस्तीनी ज़मीन के कोई वारिस न हों। वामपंथी विचारधारा के एक यहूदी विद्वान और लेखक 'गडोन लेवे' ने बहुत पहले कह दिया था कि यहूदियों को न सिर्फ़ ये कि फ़िलिस्तीनियों के स्वामित्व के अधिकार को मानना पड़ेगा, बल्कि फ़िलिस्तीनी धरती पर उन्हें वरीयता भी देनी होगी, क्योंकि फ़िलिस्तीनी बाक़ी दुनिया से अलग स्वभाव के लोग हैं। हम उन्हें दुष्ट और अहंकारी कहते हैं और फिर हमने उनकी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा किया है और फिर भी हम चाहते हैं कि वे अपने वतन को भुला दें। तभी वे 1987 से प्रोटेस्ट की हालत में हैं और हम उन्हें क़ैदख़ानों में भरते जा रहे हैं।

पूरी दुनिया में अगर कोई इसराईली राज्य और इसराईली जनता को बचा सकता है तो वह ख़ुद इसराईली हैं, जिन्हें एक नवजात राजनीतिक समझौते के तहत हर हाल में स्वीकार करना होगा कि इस फ़िलिस्तीन के अस्ल मालिक फ़िलिस्तीनी ही हैं और यह उनका ही वतन है।अब इसराईली जान चुके हैं कि फ़िलिस्तीन में उनका कोई भविष्य नहीं है। यहूदी विद्वान और लेखक 'गडोन लेवे' ने बहुत पहले कि दिया था कि यहूदीयों को न सिर्फ़ ये कि फ़िलिस्तीनियों के स्वामित्व के अधिकार को मानना पड़ेगा बल्कि फ़िलिस्तीनी धरती पर उन्हें वयरीयता भी देनी होगी।

वर्षों बाद जब हम समझे कि अब उन्हें सबक़ सिखाया जा चुका है, लेकिन 2000 ई. में अपनी खोई गई ज़मीनें वापस लेने के लिए वे हथियारों से लैस होकर हमारे सामने आ गए। इसके बावजूद हमने उनका घेराव जारी रखा और उनके घरों को मलियामेट करते रहे। अबकी बार जब उन्होंने हमारे ऊपर मिज़ाइल दाग़ना शुरू कर दिए तो हमने उनके और अपने बीच ऊंची दीवारें और बाढ़ लगाने की योजना शुरू कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने सुरंगें खोदीं और ज़मीन के नीचे से हम पर हमलावर हुए।

यहां तक कि हालिया युद्ध के शुरू में उन्होंने हमारी सीमा के अंदर घुस कर हमें क़त्ल करना और मारना शुरू कर दिया। हमने अपनी सोच के मुताबिक़ उनके साथ लड़ाई शुरू की, लेकिन उन्होंने हमारे सेटेलाइट "आमोस" को ही जाम कर दिया। वे लगातार हमें धमकियों पर धमकियां देते हैं और कहते हैं कि हमारे नौजवान इसराईली चैनलों को भी बंद करके जाम कर देंगे।

सच्चाई यह है कि हमें इतिहास के सबसे कठिन लोगों से पाला पड़ गया है और उन्हें माने बिना और फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर अपना क़ब्ज़ा ख़त्म किए बिना इस समस्या का कोई हल मौजूद नहीं है। ■■

(इसराईली अख़बार,
"हारेट्ज़" 10 अक्तूबर 2023)

पर्यावरण



जितेंद्र गौतम

सांस पर संकट



हर साल कमोबेश सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली व उसके आसपास के इलाक़ों को एक झटका लगता है और चेतावनियों का दौर शुरू हो जाता है। यह वह समय है, जब वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसके साथ ही शुरू हो जाती है एक-दूसरे को ज़िम्मेदार बताने और आरोप-प्रत्यारोप की होड़ भी। प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुटता है, जबकि राजनेता अपनी ज़िम्मेदारी से भागने के रास्ते खोजते नज़र आते हैं।

बीते माह राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जिस ख़तरनाक स्तर पर पहुंची है, वह वायु प्रदूषण की विकराल हो चुकी समस्या के प्रति व्यवस्था के उदासीन रवैये को ही दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष की तरह एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हवा का बुरा हाल होने लगा है। हवाएं ज़हरीली बनी हुई हैं। 300 के ऊपर एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) का पहुंचना अपने आप में ख़तरे की घंटी है, फिर आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ समस्या के बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, जो और भी चिंताजनक है।

उल्लेखनीय है कि गर्मी के मौसम में प्रदूषित हवा का घनत्व कम और तापमान ज़्यादा होता है, जिससे यह आसानी से वायुमंडल की ऊपरी सतहों तक पहुंच जाती है और हवा तुलनात्मक रूप से स्वच्छ बनी रहती है, लेकिन ठंड का मौसम आते-आते कोहरे की वजह से हवा भारी होने लगती है और उस पर प्रदूषण के कण भी जमने लगते हैं, जिससे वह वायुमंडल में पहुंच नहीं पाती और प्रदूषण बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या, कारख़ानों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और पड़ोसी राज्यों में पराली का जलाया जाना बढ़ते प्रदूषण की प्रमुख वजहों में से हैं।



वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने हालांकि ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का दूसरा चरण लागू किया है, जिसके तहत खुले में कूड़े के निस्तारण, ट्रकों के कचरे के परिवहन इत्यादि से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन यह इन नियमों के पालन के प्रति उदासीनता ही है, जिसके चलते दिल्ली में हर साल सर्दियों के शुरुआती दिनों में यह क़दम उठाए जाने के बावजूद समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाता।

दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के बड़े इलाक़े में रहने वालों के लिए यह इस मौसम की स्थायी समस्या है। बुज़ुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए तो हालत जानलेवा हो जाती है, मगर सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों का स्वरूप यह बताता है कि सरकार समस्या के लक्षणों को कम करने में जुटी है। अभी तक समस्या को सुलझाने या इसकी गंभीरता को कम करने में कोई ख़ास सफलता नहीं मिली है। इसके

बीते माह राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जिस ख़तरनाक स्तर पर पहुंची है, वह वायु प्रदूषण की विकराल हो चुकी समस्या के प्रति व्यवस्था के उदासीन रवैये को ही दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष की तरह एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हवा का बुरा हाल होने लगा है। हवाएं ज़हरीली बनी हुई हैं। 300 के ऊपर एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) का पहुंचना अपने आप में ख़तरे की घंटी है, फिर आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ समस्या के बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, जो और भी चिंताजनक है।

एक प्रमुख कारण के रूप में पंजाब और आसपास के राज्यों में पराली जलाने के चलन को कई साल पहले चिह्नित किया जा चुका है, मगर उस मोर्चे पर ख़ास प्रगति के संकेत नहीं हैं।

विचित्र है कि वर्षों से प्रदूषण के गहराने से उपजी समस्या का सामना करने के बावजूद इस पर क़ाबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती है। जब प्रदूषण से उपजी मुश्किलें गहराने लगती हैं और यह सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनने लगता है, तब सरकार वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले धुएं की रोकथाम की बात करने लगती है। मसलन, इसमें सबसे प्राथमिक होता है सड़क पर चल रहे वाहनों की संख्या और उसके प्रकार को नियंत्रित करना। फिर धूल-रोधी यंत्रों के ज़रिए भी प्रदूषण की लगाम थामने की कोशिश की जाती है।

कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण पर क़ाबू पाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की भी बात

की थी, मगर केवल घोषणाओं के ज़रिये किसी भी समस्या से पार पाना संभव नहीं होता है। वैसे भी इन उपायों से कुछ समय तक के लिए और एक हद तक तो आबोहवा में कुछ फ़र्क़ महसूस हो सकता है, लेकिन जब तक प्रदूषण फैलाने वाले कारकों और उनकी जड़ों की पहचान करके उनसे निपटने के दीर्घकालिक उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक आबोहवा आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए जोखिम का ज़रिया बनी रहेगी।

भारत वर्ष 2022 में दुनिया का आठवां सबसे प्रदूषित देश था। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हमेशा शामिल रहता है और मुंबई महानगर भी कई बार दिल्ली से होड़ करने लगता है।

दिल्ली मुंबई ही नहीं भिवाड़ी, पटना और दरभंगा जैसे शहर भी अब चिंता का कारण बनने लगे हैं। वायु में प्रदूषण की सीमा जितनी रह सकती है उससे कम से कम दस गुना ज़्यादा प्रदूषण हमें उपलब्ध है। दिल्ली में तो प्रदूषक स्तर सुरक्षित माने जाने वाले

आज स्थिति यह है कि एक ओर जहां बिहार के शहरों में प्रदूषण बढ़ा है, तो दूसरी ओर देश के शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में से आठ उत्तर प्रदेश के थे। मेरठ, हापुड़ मुज़फ़्फ़रनगर, बुलंदशहर, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और इलाहाबाद प्रदूषित शहरों में शुमार हैं। यह गंभीर स्थिति इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।



प्रदूषण और गंदगी भारत के शहरों व शहर निकायों को ख़ासकर बढ़ती गंदगी और प्रदूषण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इधर के वर्षों में भारत के शहरों में साफ़-सफ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर योजनाएं काग़ज़ पर ही अच्छा काम कर रही हैं, ज़मीन पर गंदगी या प्रदूषण दूर करने की योजनाओं का असर देखना बाक़ी है।

स्वीस संस्था आईक्यूएयर की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 भारत के हैं।

स्तर से 18 गुना अधिक हो जाता है। राजस्थान का भिवाड़ी देश का सबसे प्रदूषित शहर बन जाता है।

वास्तविकता यह है कि हमारे निकायों के पास प्रदूषण को दूर करने की योजनाओं का अभाव है। शहरी निकायों के पास शायद इतना समय नहीं है कि वे इस बढ़ती समस्या का पुख़्ता हल खोजें। वायु में जब प्रदूषण बढ़ जाता है, तो कुछ फ़ौरी उपाय करने के बाद मौसम के हिसाब से प्रदूषण के घटने का इंतिज़ार किया जाता है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे निकायों में प्रदूषण को लेकर पर्याप्त जागरूकता है? क्या हमारे पार्षद लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त गंभीर सोच रखते हैं? शहरों को सजाने से ही सेवा पूरी नहीं हो जाएगी। शहरों को रहने लायक़ बनाना होगा और स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सरकारें गंभीर हों, नागरिक जागरूक हों और नियमों का शक्ति से पालन हो, तभी स्थाई समाधान की ओर बढ़ा जा सकेगा।

■■

आईना देखना ज़रूरी

मंथन



डॉ. प्रदीप कुमार



यह सर्वविदित है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्म-निर्भर माना जाता है साथ ही यहां प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद यदि लाखों बच्चे और महिलाएं भूख से पीड़ित हैं और असमय काल का ग्रास बनने को बाध्य हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक-2023 की रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत एक सौ ग्यारहवें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में चार स्थान नीचे गिरा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फिर विश्व भूख सूचकांक में भारत का चार खाने नीचे गिरना क्या दर्शाता है? हर बार की तरह सरकार ने फिर इसे ग़लत क़रार दिया है, लेकिन दुनिया के तमाम देश इसे मानते हैं और उसके मुताबिक़ अपनी योजनाएं बनाते हैं।

“हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक-2023 की रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत एक सौ ग्यारहवें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले साल की तुलना में चार स्थान नीचे गिरा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं बेहतर है।”

ग़ौरतलब है कि प्रमुख समस्या खाद्य उत्पादन की कमी नहीं, बल्कि अनुचित या असमान वितरण प्रणाली की है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। एक अनुमान के अनुसार, भारत का लगभग 40 फ़ीसद भोजन बर्बाद हो जाता है, 30 फ़ीसद सब्जियां और फल भंडारण के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं और सैकड़ों टन खाद्यान्न असुरक्षित गोदामों में सड़ जाता है।

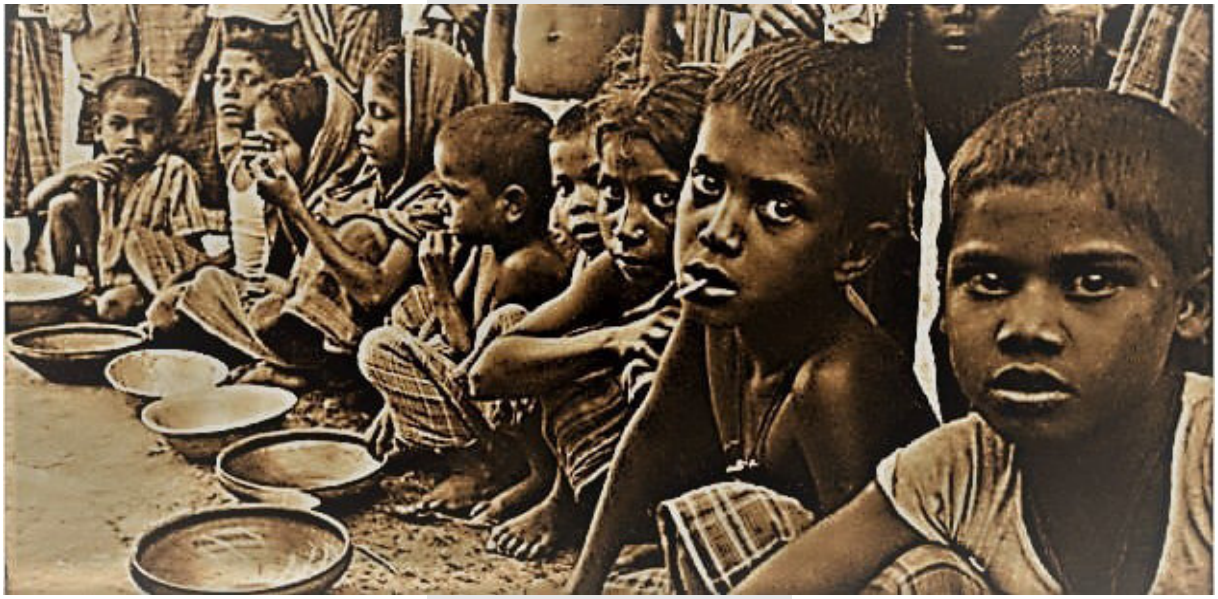
ज्ञात रहे कि सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करना भी है। पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या ऐसा लगता

है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है?

विडंबना यह है कि एक तरफ़ भोजन की कमी के कारण लोग मरने को मजबूर हैं, उन्हें अधिकांश समय एक बार का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो दूसरी तरफ़ दिखावे की संस्कृति के कारण सैंकड़ों टन भोजन शाही तरीक़े से आयोजित आधुनिक विवाह समारोहों में जूठन के रूप में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है।

सरकार को रिपोर्ट ख़ारिज करने की जगह यह देखना होगा कि क्यों देश में इस समस्या का निदान दशकों से नहीं हो पाया है? फिर अगर रिपोर्ट में पैरामीटर ग़लत हैं तो पूरी दुनिया के लिए ग़लत हैं, केवल भारत के लिए नहीं। क्या वजह है कि भारत पिछले आठ वर्षों में लगातार भूख सूचकांक में गिरता ही जा रहा है। (दो वर्षों में एक-आध खाने ऊपर होने के अलावा) यह स्थिति कमोबेश साल-दर-साल बनी हुई है। क्या किसी भी कल्याणकारी राज्य का पहला और अंतिम कर्तव्य देश के नौनिहालों को कुपोषण से बचाना नहीं होना चाहिए?

ज्ञात रहे कि सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूख को समाप्त करना भी है। पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? विडंबना यह है कि एक तरफ भोजन की कमी के कारण लोग मरने को मजबूर हैं,



उन्हें अधिकांश समय एक बार का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो दूसरी तरफ दिखावे की संस्कृति के कारण सैंकड़ों टन भोजन शाही तरीके से आयोजित आधुनिक विवाह समारोहों में जूठन के रूप में फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है।

क्यों चीन इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है? सच्चाई से आंखें मोड़कर हम देश के भविष्य को संकट में डाल रहे हैं। क्या कुपोषित बच्चों से अगले 50 साल में भी हम जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का फ़ायदा ले सकेंगे?

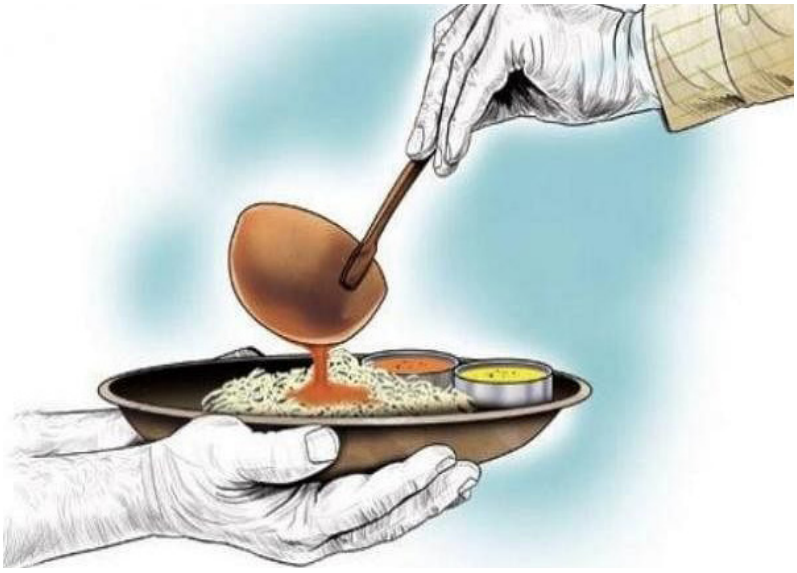
वैश्विक भूख सूचकांक से ज्ञात होता है कि किसी देश में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष यानी 2022 में 121 देशों की श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर था, 2021 में 101वें और 2020 में 94वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख का स्तर 28.7 अंक है, जो गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। 'चाइल्ड वेस्टिंग' की दर 18.7 फ़ीसद है, जो अतिकुपोषण की संकेतक है।

सरकार का कहना है कि चार में से तीन संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चौथा संकेतक समग्र आबादी में कुल कुपोषितों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसे मात्र तीन हज़ार नमूनों के मत सर्वेक्षण से एकत्र किया

देश का डिजिटल होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलना। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी के लिए न्यूनतम वेतन/ मज़दूरी निर्देशित रोज़गार और सार्वभौमिक मूल वेतन एक पहल हो सकती है, साथ ही सरकारी नीतियों पर हावी होते पूंजीवादी प्रभाव को कमज़ोर करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि देश की नीतिगत ख़ामियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं।

गया है, इसलिए सरकार इन आंकड़ों को सही नहीं मान रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 फ़ीसद और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 फ़ीसद है और 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में रक्त की कमी 58.1 फ़ीसद है।

अगर इन आंकड़ों को स्वीकार किया जाए, तो भारत की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। फिर सरकार यह न भूले कि इस सूचकांक को तैयार करने में जो चार पैमाने हैं उनमें से तीन भारत सरकार के अपने एनएफएचएस-5 से लिए गए हैं।



उल्लेखनीय है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दस साल में अगर हम दसवें स्थान से पांचवें पर आ गए हैं, लेकिन इसी काल में कुपोषण बढ़ता गया, तो हमें ख़ुश होना चाहिए या नीतियों और प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव करना चाहिए? इसलिए निर्धनता को असमानता की संरचना के साथ देखे जाने की ज़रूरत है। देश का डिजिटल होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त करने का अधिकार मिलना।

राष्ट्रपिता गांधीजी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहं तुम पर हावी होने लगे, तो इसे आजमाना। जो सबसे ग़रीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो क़दम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहं समाप्त हो रहा है।

गांधीजी का जंतर हमारी नीतियों के संबंध में आज भी प्रासंगिक है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी के लिए न्यूनतम वेतन/ मज़दूरी निर्देशित रोज़गार और सार्वभौमिक मूल वेतन एक पहल हो सकती है, साथ ही सरकारी नीतियों पर हावी होते पूंजीवादी प्रभाव को कमज़ोर करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। स्वाभाविक बात है कि देश की नीतिगत ख़ामियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। ■■

इस धारणा का ज़िम्मेदार कौन?



नज़रिया



गुलज़ार सहराई

"मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।'' यह वाक्य पढ़कर कुछ लोग फ़ौरन कह उठेंगे कि इस धारणा के अलमबरदार जनवादी लोग हैं, जो किसी ख़ुदा के वुजूद को तो नहीं मानते, मगर मानवता की दुहाई देते हैं। बेशक इस धारणा को पेश करने वाले मज़हब बेज़ार (धर्म विमुख) लोग ही होते हैं, लेकिन इस धारणा ने जन्म क्यों लिया और यह इतनी फली-फूली कैसे, यह ग़ौर करने की बात है, ख़ास तौर से इस हाल में कि जब हम जानते हैं कि इस्लाम से बढ़कर इंसान को इंसान बनना कोई नहीं सिखा सकता, बल्कि अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि इस्लाम ने ही इंसान को उसके अस्ल मक़ाम से परिचित कराया है।

इसके बावजूद न सिर्फ़ इंसानियत का दर्द रखने वाले ग़ैर-मुस्लिम बल्कि कुछ मुस्लिम लोग भी यह कहते पाए जाते हैं कि 'इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है'। सवाल यह है कि आख़िर इंसानियत की अलग से परिभाषा निर्धारित करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है?

तथाकथित धार्मिक लोग तो ऐसे लोगों को दीन बे-ज़ार (धर्म विमुख) और गुमराह कहकर उनकी बात को बड़ी हिक़ारत और घृणा से रद्द कर देते हैं, लेकिन सच पूछिए तो इस धारणा के लिए तथाकथित धार्मिक वर्ग ही सबसे बड़ा क़ुसूरवार है, जिसने इस्लाम को दीने-फ़ितरत (स्वाभाविक धर्म) न बनाकर मात्र कुछ रस्मों और रिवाजों का मज़हब बना दिया है।

इस वर्ग ने ईश्वर की जो धारणा समाज में राइज किया है वह मआज़अल्लाह (ईश्वर की पनाह) किसी चापलूस व्यक्ति से ज़्यादा की नहीं है, जो सिर्फ़ अपनी प्रशंसा से और अपने सामने माथा टेकने से ख़ुश हो जाया करता है। चुनांचे इस वर्ग के अनुसार इंसान की उख़रवी नजात (पारलौकिक सफलता) के लिए मात्र

"मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।" यह वाक्य पढ़कर कुछ लोग फ़ौरन कह उठेंगे कि इस धारणा के अलमबरदार जनवादी लोग हैं, जो किसी ख़ुदा के वुजूद को तो नहीं मानते, मगर मानवता की दुहाई देते हैं। इस धारणा ने जन्म क्यों लिया और यह इतनी फली-फूली कैसे, यह ग़ौर करने की बात है। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि इस्लाम ने ही इंसान को उसके अस्ल मक़ाम से परिचित कराया है। इसके बावजूद न सिर्फ़ इंसानियत का दर्द रखने वाले ग़ैर-मुस्लिम बल्कि कुछ मुस्लिम लोग भी यह कहते पाए जाते हैं कि 'इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है'। सवाल यह है कि आख़िर इंसानियत की अलग से परिभाषा निर्धारित करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है?

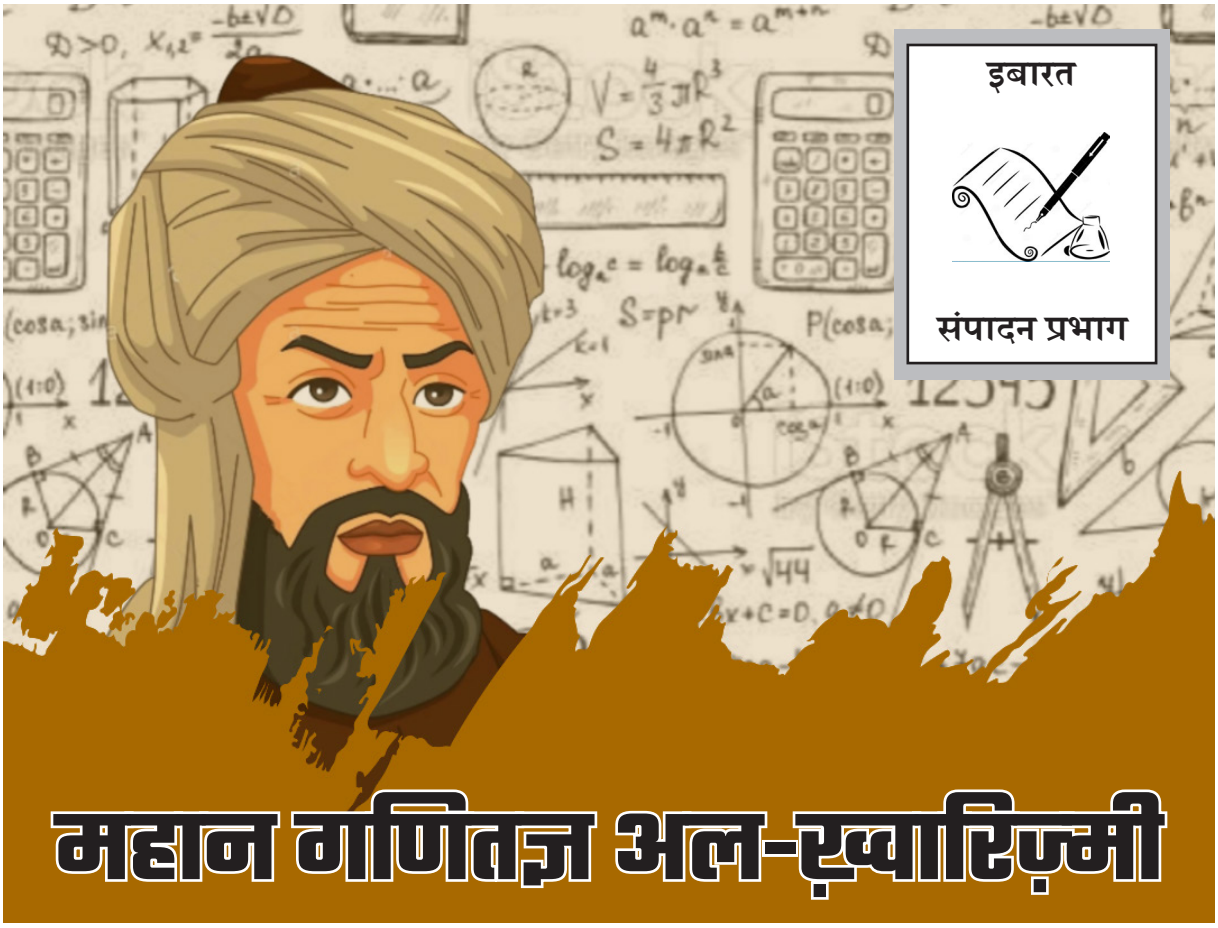
कुछ इबादतें करना और चंद औराद-ओ-वज़ाइफ़ (जाप) की पाबंदी काफ़ी है। यही नहीं, बल्कि उख़रवी कामयाबी के ऐसे 'शॉर्ट कट' पैकेज भी मौजूद हैं, जिनमें चंद रोज़ या फिर एक रात इबादत करके बरसों के गुनाह माफ़ करवाए जा सकते हैं।

ज़ाहिर है कि इस धारणा के होते हुए लोग गुनाहों से क्यों डरेंगे? और क्यों न्याय और इन्साफ़ की रीति पर चलेंगे? अपने जैसे अन्य इंसानों के अधिकारों का भी ख़याल क्यों रखेंगे? ज़ाहिर है कि जब मस्जिद में चंद रुपये चंदा देने से मुस्तक़िल सवाबे-ज़ारिया (निरन्तर पुण्य) का पैकेज हो तो कोई किसी ग़रीब की मदद को क्यों प्राथमिकता देगा?

चुनांचे धर्म की ग़लत धारणा का असर हम समाज में साफ़ तौर पर देख रहे हैं। मस्जिदें नमाज़ियों से भरी रहती हैं, लेकिन साथ-साथ झूठ, बेईमानी, वादा-ख़िलाफ़ी, नाजायज़ क़ब्ज़े, कमज़ोरों के साथ शोषण और दमन का रवैया.....ये सब भी साथ-साथ चलता रहता है। फ़र्ज़ हज के अलावा नफ़ली हज और उमरे हो रहे हैं, लेकिन न ग़रीब रिश्तेदारों और अन्य ज़रूरतमंदों की मदद के लिए पैसा जेब से नहीं निकलता, क्योंकि मक़सद तो सवाब हासिल करना है, वह नफ़्ली हज से भी हासिल हो ही रहा है और अल्लाह तो अपनी इबादत से ख़ुश होता है, तो क्यों न ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें की जाएं। रहीं मानवाधिकारों से सम्बन्धित इस्लाम की शिक्षाएं तो वे बस यूं ही बयान करने के लिए हैं, और फिर एक रात की इबादत जैसे 'शॉर्ट कट' पैकेज के होते हुए अन्य बखेड़ों में पड़ने की ज़रूरत क्या है?



यक़ीन मानिए, यह मज़हब की अत्यंत स्वार्थपरक धारणा है, जो मुसलमानों को भले ही बहुत प्रिय हो, लेकिन इस्लाम को बहरहाल इसकी दरकार नहीं है। धर्म की ऐसी ही धारणा ने जनवादी विचारधारा को जन्म दिया। हम मुसलमानों ने भी व्यावहारिक रूप से इस्लाम की जो छवि पेश की है, वह उसे एक स्वार्थपरक धर्म बनाकर ही पेश करती है। इसलिए ज़रूरी है कि जनवादी विचाधारा के सामने इस्लाम की सही छवि पेश की जाए और व्यावहारिक रूप से यह संदेश देने के प्रयास किए जाएं कि इस्लाम में मानवता के समस्त हित सुरक्षित हैं। ■■



महान गणितज्ञ अल-ख़्वारिज़्मी

अल-ख़्वारिज़्मी (Al-Khwarizmi) जिनका पूरा नाम "अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने मूसा अल-ख़्वारिज़्मी" है, जिन्हें पश्चिमी देशों में अल्गोरित्मी (Algorit mi) कहा जाता है। इनका जन्म फ़ारस के ख़्वारिज़्म में सन् 780 में हुआ था। इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और भूगोल में अत्यधिक प्रभावशाली कार्य किया। इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान सन् 820 में अल-ख़्वारिज़्मी को खगोल विज्ञानी और पुस्तकालय के प्रमुख के रूप में बग़दाद के बैत अल-हिकमा में नियुक्त किया गया था।

सन् 820 के आसपास 'अल-ख़्वारिज़्मी' ने बग़दाद में अपने एक ग्रंथ का नाम "अल-किताब अल-मुक्तसर फ़ी हिसाब अल-जबर वा अल-मुक़ाबला" रखा। इस महत्वपूर्ण किताब के नाम पर ही इस विषय का नाम अलजेबरा (Al-gebra) पड़ा। अल-ख़्वारिज़्मी ने रैखिक और द्विघात समीकरणों का पहला व्यवस्थित समाधान प्रस्तुत किया। अल-ख़्वारिज़्मी बताया कि वर्ग को पूरा करके द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाए, उन्होंने "कमी" और "संतुलन" के तरीक़ों की शुरुआत किया। (विपरीत पक्षों पर समान शब्दों को रद्द करना)

अल-ख़्वारिज़्मी ने अपनी किताब के पन्नों को, प्रतीकों और समीकरणों के साथ भरने के बजाय, उन्होंने बहुत ही आम भाषा में ये सब कुछ लिखा है, जो बात बीज गणित के प्रतीकों के माध्यम से दो पंक्तियों में बताई जा सकती थी, उसे अल-ख़्वारिज़्मी ने दो-पृष्ठों में स्पष्टीकरण के ज़रिये समझाया है। इसलिए अल-ख़्वारिज़्मी को बीजगणित के पिता या संस्थापक के रूप में वर्णित किया जाता है।

अल-ख़्वारिज़्मी के इस किताब को लिखने से पहले इस बात के प्रमाण हैं कि यूनानी, हिंदुस्तानी और बेबीलोन के

गणितज्ञ अल-ख़्वारिज़्मी से बहुत पहले बीजगणित के समीकरणों को हल कर रहे थे, लेकिन अल-ख़्वारिज़्मी इतने प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि एक तो उनके बीज गणित आज उपयोग हो रहे बीज गणित के बहुत क़रीब है और दूसरा उन्होंने इसे इतना आसान कर दिया था कि बहुत से लोग इसका उपयोग अपने दैनिक समस्याओं को हल करने में कर सकते थे। अल-ख़्वारिज़्मी ने अपनी किताब के पन्नों को, प्रतीकों और समीकरणों के साथ भरने के बजाय, उन्होंने बहुत ही आम भाषा में ये सब कुछ लिखा है, जो बात बीज गणित के प्रतीकों के माध्यम से दो पंक्तियों में बताई जा सकती थी, उसे अल-ख़्वारिज़्मी ने दो-पृष्ठों में स्पष्टीकरण के ज़रिये समझाया है। इसलिए अल-ख़्वारिज़्मी को बीजगणित के पिता या संस्थापक के रूप में वर्णित किया जाता है।

संख्याओं और अंकों पर लिखे उनके शोध पत्रों के संकलन किताब 'अल-जुम वल-तफ़्रीक बिल-हिंद' में शून्य और दशमलव संख्या प्रणाली (डेसिमल नंबर सिस्टम) के महत्व और विशेषताओं को दुनिया से बताया। इस किताब में गणित से संबंधित कई चीज़ें बताई गई हैं और यहीं से एल्गोरिथम की शब्दावली अस्तित्व में आई जो वास्तव





में लैटिन भाषा में अल-ख़्वारिज़्मी बोलने का तरीक़ा है। अल-ख़्वारिज़्मी की लिखी किताब 'सूरत अल-अर्ज़' यानी (दुनिया का नक़्शा) की वजह से इस्लाम के पहले भूगोलवेत्ता कहलाते हैं। इस किताब में पांच सौ शहरों के अक्षांश और देशांतर के टेबल मौजूद हैं। इस किताब में, विभिन्न स्थानों को क़स्बों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और द्वीपों में विभाजित किया गया है। ■■

सेहत

संपादन प्रभाग



गले में ख़राश : सतर्क रहें स्वस्थ रहें

क्या आपको निगलने में कठिनाई हो रही है? क्या ऐसा महसूस होता है जैसे आपके गले के पीछे कुछ फंस गया है? क्या आपकी आवाज़ कर्कश है और आपका गला बैठ गया है? ये गले में ख़राश के सामान्य लक्षण हैं। गले में ख़राश अप्रिय, दर्दनाक महसूस हो सकती है और कभी-कभी निगलने में कठिनाई पैदा कर सकती है। अधिकांश गले में ख़राश किसी संक्रमण के कारण होती है, लेकिन ऐसे अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से आपके गले में खरोंच महसूस हो सकती है। गले में दर्द सर्दी या फ्लू जैसे संक्रमण का संकेत हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में, यह एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है, लेकिन यदि आपके गले में ख़राश के साथ बुख़ार भी है तो सलाह के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

सामान्य लक्षण

गले में ख़राश के लक्षण और इसके कारण के आधार पर अलग-अलग होते हैं, लेकिन आमतौर पर गले में ख़राश के तीन मुख्य लक्षण होते हैं–पहला गले के पीछे खरोंच जैसा महसूस होना। दूसरा गले में या मुंह के पिछले हिस्से में दर्द होना। तीसरा निगलने में कठिनाई होना।

कभी-कभी गले के पीछे की खुजली थोड़ा-सा पानी पीने से दूर हो जाती है। अन्य समय में यह लंबे समय तक बनी रह सकती है और गंभीर दर्द का कारण बन सकती है। गले में ख़राश के इन तीन लक्षणों से सावधान रहें। गले में ख़राश और दर्द के कारण आमतौर पर सूजन और चिड़चिड़ापन महसूस होगा। गले में ख़राश अक्सर सामान्य सर्दी या फ्लू के साथ होती है, लेकिन ये स्ट्रेप गले जैसे अधिक गंभीर संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।

हालांकि अधिकांश गले की ख़राश घरेलू उपचार से एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाती है और पैरासिटामोल जैसे क्रोसिन जैसी दर्द निवारक दवाओं से नियंत्रित हो जाती है, लेकिन अगर आपके गले में ख़राश बनी रहती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।

गले को नम रखने के लिए ख़ूब सारे तरल पदार्थ पियें। शहद के साथ हर्बल चाय या लेमन के साथ गर्म पानी अच्छे विकल्प हैं। गले की ख़राश के लिए शहद को एक प्रभावी उपचार माना गया है।

क्या है कारण?

गले में ख़राश के कई अलग-अलग कारण होते हैं–सर्दी से लेकर

बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण तक। सबसे उपयुक्त प्रबंधन विकल्प तय करने के लिए, आपको दर्द का कारण बनने वाले अंतर्निहित कारणों को समझना महत्वपूर्ण है।

गले में ख़राश किसी को साल में कई बार प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर के पास जाने वाले लगभग दस प्रतिशत मरीज़ बार-बार गले में ख़राश की शिकायत करते हैं। अधिकांश मामलों में, गले का संक्रमण वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वयस्कों में लगभग 85 प्रतिशत गले के संक्रमण और बच्चों में 70 प्रतिशत का कारण वायरस होता है, जबकि गले में ख़राश के 30 प्रतिशत के लिए बैक्टीरिया ज़िम्मेदार होते हैं।

वायरल संक्रमण जो निगलने में दर्द का कारण बन सकते हैं उनमें सर्दी, फ्लू, खसरा, कोविड-19 और चिकनपॉक्स शामिल हैं। बैक्टीरिया स्ट्रेप गले का कारण बन सकते हैं। वयस्कों में 5 से 15 प्रतिशत गले में दर्द के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का संक्रमण ज़िम्मेदार है।

यदि आपको गले में लंबे समय से ख़राश होने का संदेह है, तो डॉक्टर के पास जाना सबसे अच्छा है। बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए वे गले की जांच कर सकते हैं। जहां स्ट्रेप जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, वहां संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता हो सकती है।

साइनस संक्रमण के साथ होने वाला गले में ख़राश एक विशेष मामला है, क्योंकि यह वायरस या बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यदि आपको साइनस संक्रमण है जो दो सप्ताह के बाद भी दूर नहीं होता है, तो डॉक्टर को दिखाना सबसे अच्छा है।

बचाव/इलाज

गले में ख़राश का सही इलाज अंतर्निहित कारणों पर निर्भर करता है। ज़्यादातर मामलों में, घरेलू उपचार जैसे गर्म, सुखदायक पेय पीना अच्छा काम करता है। सूजन और दर्द को कम करने



के लिए आप डॉक्टर के परामर्श के बाद इबुप्रोफेन या पेरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं ले सकते हैं। कई मामलों में, घरेलू उपचार का उपयोग करके गले की ख़राश का इलाज किया जा सकता है। निम्नलिखित उपाय दर्द से राहत दिलाते हैं–

• गर्म पानी और नमक (1 चम्मच) के मिश्रण से गरारे करें। गर्म पानी के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे आपका गला और भी ख़राब हो सकता है।

• गले को नम रखने के लिए ख़ूब सारे तरल पदार्थ पियें। शहद के साथ हर्बल चाय या लेमन के साथ गर्म पानी अच्छे विकल्प हैं। गले की ख़राश के लिए शहद को एक प्रभावी उपचार माना गया है।

• सूजन को बदतर होने से बचाने के लिए सूप जैसे नरम खाद्य पदार्थ खाएं।

• गले को नम रखने और दर्द को कम करने के लिए लोजेंजेस का प्रयोग करें।

• यदि ठंड बेहतर लगती है या किसी संक्रमण के कारण आपका गला सूज गया है तो आप पॉप्सिकल भी चूस सकते हैं।

• कर्कश आवाज़ को शांत करने के लिए चिल्लाने, गाने और कभी-कभी बोलने से भी बचें।

• गले में ख़राश आपको सड़न महसूस करा सकती है और कभी-कभी घरेलू उपचार पर्याप्त नहीं होते हैं। जब आपका गला विशेष रूप से दर्दनाक होता है, तो आप गले में ख़राश के लिए वक़्ती तौर पर क्रोसिन जैसी दर्द निवारक दवा का उपयोग कर सकते हैं।

• धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान बंद करने से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सिगरेट से छुटकारा पाने के लिए आप निकोटीन गम और पैच आज़मा सकते हैं।

• वायु प्रदूषण/रसायन ज़हरीली या हानिकारक गैसों से बचने के लिए सुरक्षात्मक मास्क और दस्ताने पहनें।

• एक ह्यूमिडिफ़ायर लें और दिन भर में अधिक बार तरल पदार्थ पियें।

उक्त उपायों और सावधानियों को अपनाकर आप गले की ख़राश के साथ-साथ गले में होने वाले अन्य संक्रमणों से भी बच सकते हैं। इसलिए संतर्क रहें ताकि स्वस्थ रहें। ■■

करियर

संपादन प्रभाग



पर्यावरण प्रबंधन में हरा-भरा भविष्य

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम शहरों में प्रदूषण के ख़तरनाक रूप से बढ़े स्तर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। सर्दियों के दस्तक देते ही वायु गुणवत्ता सूचकांक ख़तरे के निशान से कई गुना ऊपर पहुंच गया है। प्रदूषण की बढ़ी मात्रा ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर रोक तो लगाई ही है, नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी इसके गहरे प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। ख़तरे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने सहित राजधानी में मेट्रो नेटवर्क में ट्रेनों के संचालन में भी फेर-बदल करने तक का फ़ैसला लेना पड़ा। स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ीं। हालांकि प्रदूषण जनित चुनौतियां केवल भारतीय शहरों तक ही सीमित हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया के तमाम देशों के बड़े शहर और औद्योगिक केंद्र भी इसी समस्या से ग्रसित हैं।

पर्यावरण प्रबंधन क्या है?

पर्यावरण विज्ञान के माध्यम से सही दिशा में उठाए गए क़दमों से इन समस्याओं का समाधान संभव है।

जलवायु परिवर्तन के इन दुष्परिणामों ने दुनिया भर की सरकारों, वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों सहित आम जनमानस को न केवल चिंतित किया है, बल्कि पहले से ज़्यादा जागरूक भी किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रयास किए जाने लगे हैं। ये प्रयास सरकारी, ग़ैर-सरकारी और निजी सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में मानवीय और तकनीकि दोनों प्रकार से दक्ष लोगों की भारी ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही इसके लिए प्रबंधकीय क्षमता रखने वाले लोगों की भारी ज़रूरत है।

ख़ास बात यह है कि यह क्षेत्र कार्य करने के लिए किसी ख़ास विषय में दक्षता वाले लोगों के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी विषयों के विद्यार्थियों जैसे कि भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा, मानविकी,

आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि के लिए भी भरपूर संभावनाएं हैं।

संभावनाएं हैं अपार

इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते कार्यबल की संभावनाओं को देखते हुए तमाम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि सभी स्तर के पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। सही दृष्टिकोण और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की रुचि इस क्षेत्र में नाम, पैसा और कार्य संतुष्टि सब कुछ उपलब्ध करा सकती है।

युवा जो नौकरी करने के साथ-साथ समाज के लिए कुछ करने की भावना से प्रेरित हैं उनके लिए इस क्षेत्र में तमाम संभावनाएं हैं। पर्यावरण विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सरकारी, ग़ैर-सरकारी, निजी संस्थाओं सहित जल शोधन, रिफाइनरी, उर्वरक आदि उद्योंं के साथ-साथ पर्यावरण क़ानून, संचार, पत्रकारिता जैसे क्षेत्र संभावनाओं से युक्त हैं। शिक्षण, प्रबंधन, पर्यावरण शोध, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में भी भरपूर मौक़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के

होता है, जिसमें हर सीट के लिए सौ से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। कई आईआईटी संस्थानों में इसका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मौजूद है। इनमें गेट के स्कोर के आधार पर दाख़िला होता है।

इसके अलावा पर्यावरण क़ानून और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम 'नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़', बंगलुरू और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में सर्टिफिकेट



एक अनुमान के मुताबिक़ प्रदूषण को रोकने और इसके दुष्परिणामों को प्रतिलोम (रिवर्स) करने के क्षेत्र में कार्य करने के लिए देश में कुछ सालों में पूर्णकालिक तौर पर तीन से पांच लाख लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उत्पन्न होने वाले अफ़सरों के पदों की संख्या शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अनुसार भारत में पारिस्थितिकी चुनौतियों के कारण होने वाला नुक़सान 32 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है।

पर्यावरण विज्ञान के माध्यम से सही दिशा में उठाए गए क़दमों से इन समस्याओं का समाधान संभव है। ऐसे

पर्यावरण कार्यक्रम, जलवायु से संबंधित अंतर सरकारी पैनल जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी नियुक्ति के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

बारहवीं के बाद मिलेगा प्रवेश

पर्यावरण विज्ञान से संबंधित स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम देश के कई संस्थानों में संचालित हैं। कुछ कोर्स में दाख़िले के लिए विज्ञान विषयों में बारहवीं पास करना ज़रूरी है, तो कुछ के लिए किसी भी विषय में बारहवीं होना भर काफ़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बीई-पर्यावरण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में दाख़िला संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ज़रिए

पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन पाठ्यक्रम हो सकता है, जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में रुचि रखते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के साथ भी कर सकते हैं और साथ-साथ अपनी पसंद के विषयों की भी पढ़ सकते हैं।

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की अवधि केवल छह महीने की है। पर्यावरण अध्ययन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर होता है, लेकिन कुछ संस्थान प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करते हैं। इन्हू योग्यता के आधार पर अपने संस्थान में प्रवेश दे सकता है। ■■

अवैध इस्राईली बस्तियों के ख़िलाफ़ यूएन के प्रस्ताव को भारत का समर्थन



जमात-ए-इस्लामी हिंद ने फ़िलिस्तीन में अवैध इस्राईली बस्तियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में भारत के मतदान का स्वागत किया है। मीडिया को दिए एक बयान में जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्ला हुसैनी ने कहा, "हम फिलिस्तीन में अवैध इस्राईली बस्तियों के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के भारत सरकार के फ़ैसले का स्वागत करते हैं। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है।"

पूर्वी येरुशलम और क़ब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित 'कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र' में इज़राइली अवैध गतिविधियों की निंदा करने के लिए 145 देशों के साथ मतदान करके दृ भारत ने सही संदेश भेजा है कि वह फिलिस्तीनी भूमि को अवैध रूप से हथियाने और नागरिकों को बेदखल कर जबरन क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ है।

जमाअत ने अपने बयान में कहा है कि भारत हमेशा से फ़िलिस्तीनी स्वतंत्रता का समर्थक रहा है और इज़राइलियों द्वारा उनकी भूमि पर अवैध क़ब्जे के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनियों के वैध संघर्ष में उनका समर्थन किया है।

संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, स्वतंत्रता हासिल करने और कब्जे तथा रंगभेद को समाप्त करने के लिए फ़िलिस्तीनियों का संघर्ष भारत के मूलभूत लोकाचार के अनुरूप है और हम उन्हें अक्षरशः समर्थन देने के लिए बाध्य हैं।

जमाअत ने अपने बयान में भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि, "हम भारत सरकार से क्षेत्र में शांति लाने और शत्रुता और अवैध कब्ज़े को समाप्त करने में सक्रिय और अग्रणी भूमिका निभाने की अपील करते हैं।"

ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस्राईली दावे की खोली क़लई

मानवाधिकार संगठन ने ग़ज़ा में अस्पतालों को हमास द्वारा सामरिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के इस्राईल दावे को ख़ारिज करते हुए कहा कि इस्राईल के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा कि अस्पतालों और एम्बुलेंस गाड़ियों को अलग अलग बहानों से निशाना बनाना हरगिज़ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मानवाधिकार संगठन ने कहा कि इस्रामल ने एक भी सुबूत पेश नहीं किया कि हमास अस्पतालों को सामरिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है।

संगठन ने कहा कि इस्राईल बार बार अस्पतालों और चिकित्सा केन्द्रों को निशाना बनाकर दरअस्ल ग़ज़ा में चिकित्सा इंफ़्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहा है।



संगठन ने अपने बयान में कहा कि हमने 7 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक ग़ज़ा में अस्पतालों पर इस्राईल के हमलों की समीक्षा की है और प्रत्यक्षदर्शियों तथा मेडिकल स्टाफ़ से बात की है, इसी तरह हमने ठोस साक्ष्यों औ वीडियोज़ की मदद से जांच की जिससे पता चलता कि इस्राईल के दावे बेबुनियाद हैं। संगठने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चलता है कि इस्राईल के दावों में कोई सच्चाई नहीं है।

संगठन ने कहा कि हम एक बार ताकीद करते हैं कि अस्पताल और चिकित्सा केन्द्र नागरिक प्रतिष्ठान हैं और अंतर्राष्ट्रीय क़ानून कहते हैं कि इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जानी चाहिए।

ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा कि इस्राईल अपने ग़ैर क़ानूनी हमले, ग़ज़ा पट्टी की नाकाबंदी और अपने युद्ध अपराध बंद करे, हम अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य देशों से मांग करते हैं कि जब तक इस्राईल ग़ज़ा में आम नागरिकों के ख़िलाफ़ युद्ध अपराध जारी रखता है उसकी सामरिक मदद बंद रखें।

विपक्षी नेताओं की जासूसी से भड़का विपक्ष



विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया है। एक संवाददाता सम्मेलन में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों ने कहा कि उन्हें एप्पल से एक अलर्ट मैसेज मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनके आईफोन को सरकार-प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

एप्पल की ओर विपक्ष के जिन नेताओं को चेतावनी संदेश भेजे गए हैं, उनमें से अधिकांश 'इंडिया गठबंधन' में शामिल हैं। इन नेताओं में मुख्य रूप से महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केटी रामा राव जैसे नेता शामिल हैं।

इस घटनाक्रम सामने आने के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के हमले विपक्ष को उसकी आवाज़ उठाने से नहीं रोक पाएंगे।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि वह जल्द ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने के लिए कहेंगी।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सोशल साइट एक्स पर साझा किया है।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि क्या सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए कि नागरिकों का डेटा 'सुरक्षित है और उसके साथ समझौता नहीं किया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार की एक ही रट दृ 'अडानी बचाओ और लोकतंत्र मिटाओ!' जासूस पार्टी ने पहले 'पेगासस' का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं व संस्थानों पर तांक-झांक की, अब दूसरे तंत्र से जासूसी चालू है! इंडिया गठबंधन अर्थात भारत ऐसी धमकियों ने नहीं डरेगा!

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है सत्ताधारी अब विपक्षियों के फोन की जासूसी करवा रहे हैं. विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो ये है कि सत्ताधारी 'जनता की आवाज' सुन लें तो कम-से-कम उन्हें सुधार का कुछ मौका मिल जाए और फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, ध्वस्त कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाओं के रोष; गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के शोषण; जातीय जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुछ सकारात्मक काम हो सके।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यह जासूसी तब हो रही है जब हम लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने दूर हैं, इसे विपक्ष पर व्यापक हमलों के तहत भी रखा जाना चाहिए, जो जांच एजेंसियों द्वारा लगातार दमन, राजनीति से प्रेरित आपराधिक मामलों और कारावास का सामना कर रहे हैं। इस बीच आईटी मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि एप्पल की सूचनाएं 'अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट' है और सवाल किया कि क्या एप्पल डिवाइस वास्तव में सुरक्षित हैं।

कहानी



राजिंदर सिंह बेदी

भोला

मैंने माया को पत्थर के एक कूज़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ़ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अज़ीज़ की आमद का पता देती थी। हां! अब मुझे याद आया। दो दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहां जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए ख़ुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वह अपनी बेवा बहन को यही यक़ीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई ज़िंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख़याल की तस्दीक़ कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, "बाबा! परसों मामूं जी आएंगे ना?"

मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "भोले, तेरे मामूं जी तेरी माता जी के

.....

बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था वर्ना दरअस्ल तो मर चुका था।

.....

क्या होते हैं?" भोले ने कुछ वक़्त के बाद जवाब दिया, "मामूं जी!"

माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत ख़ुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और ख़ुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने-खेलने की तलक़ीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। मगर माया ने ख़ुद अपने आपको समाज के रूह फ़र्सा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक़ में मुक़फ़्फ़ल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी।

माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा।

फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कि, "भोले...तुम नन्ही के क्या होते हो?"

"भाई!" भोले ने जवाब दिया।

"इसी तरह तेरे मामूं जी मेरे भाई हैं।"

भोला ये बात न समझ सका कि एक ही शख़्स किस तरह एक ही वक़्त में किसी का भाई और किसी का मामूं हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता

आया था कि उसके मामूं जान उसके बाबा जी के भी मामूं जी हैं। भोले ने इस मख़मसे में पड़ने की कोशिश न की और उचक कर मां की गोद में जा बैठा और अपनी मां से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज़ इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौक़ीन था और गीता के अध्याय के आख़िर में महात्म सुनकर वो बहुत ख़ुश होता और फिर जोहड़ के किनारे फैली हुई धूप की मख़्मली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्मों पर ग़ौर किया करता।

मैं ने पटवारी से कहा, "तुम ख़ानक़ाह वाले कुंए को चलो और मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मद्धम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमान के एक कोने में मशाल की मानिंद रौशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा- "बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? ख़ानक़ाह वाला कुंआ कहीं भागा तो नहीं जाता।। आप कम से कम आराम तो कर लें।" "ऊहूं।" मैंने ज़ेर-ए-लब कहा, "पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर न हो सकेगा।"

मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ारुओं को हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म, उस पर मुसीबतों का मारा हुआ, जवानी के आलम में तीन-तीन मन बोझ उठा कर दौड़ा किया। मगर अब बीस सेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था वर्ना दरअस्ल तो मर चुका था।

रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ऊंघने लगा। ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत ख़ुश हुआ और उसे सैंकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, "मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बिटिया।"

भोला अभी तक न सोया था उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, "बाबा-जी! आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या?"

"नहीं बेटा।" मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, "मैं आज बहुत थक गया हूं। कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा।"

भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, "मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा। मैं माता जी का भोला हूं।"

भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि "भोला बाबा-जी का है और माता जी का नहीं", मगर उस दिन हलों का कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं उतना न थकता, अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता और इस वजह से मेरे पांव में टीसें न उठतीं। इस ग़ैर-मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान पर सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशाल की तरह रौशन था। ग़ौर से देखने पर वो मद्धम-सा होने लगा। मैं ऊंघते-ऊंघते सो गया।

सुबह होते ही मेरे दिल में ख़याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की? मैं इस ख़याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख़याल न आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक़्त उसने मेरी गोद में आने से इन्कार कर दिया और बोला–

"मैं नहीं आऊंगा। तेरे पास बाबा?"

"क्यों भोले?"

"भोला बाबा जी का नहीं। भोला माता जी का है।"

मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और मेरी गोद में आ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कम्बल को लपेटने लगा। माया हरी हर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूज़े में डाल कर कुएं के साफ़ पानी

से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के क़रीब मक्खन तैयार कर लिया। मैं बहन-भाई के इस प्यार के जज़्बे पर दिल ही दिल में ख़ुश हो रहा था। इतना ख़ुश कि मेरी आंखों में आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मुहब्बत का एक समुंदर होता है कि मां-बाप, भाई-बहन, ख़ाविंद-बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे। माया की तरफ़ से चेहरे को हटा कर अपनी तरफ़ कर लिया और बोला– "बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना?"

"किस बात का... बेटा?"

"तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है।"

"हां बेटा!" मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा।

ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतेज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक़्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बग़ैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक़्त से आध घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से।

मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आख़िरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक हल्की से जरीब थी। उसने कहा कि ख़ानक़ाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फ़ुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं।

दालान की तरफ़ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा। भोला चारपाई के चारों तरफ़ घूम कर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा-सा तकिया भी एक तरफ़ रख दिया और ख़ुद पायंती में पांव उड़ा कर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का मुझे इसरार से जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछा कर मेरी तवाज़ो करना अपनी ख़ुदग़र्ज़ी पर मब्नी था ताहम मेरे ख़याल में आया–

"आख़िर माया ही का बेटा है ना... ईश्वर इसकी उम्र दराज़ करे।"

मैंने पटवारी से कहा, "तुम ख़ानक़ाह वाले कुंए को चलो और मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मद्धम पड़ गया जैसे गुज़िश्ता शब को आसमान के एक कोने में मशाल की मानिंद रौशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा–

"बाबा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? ख़ानक़ाह वाला कुंआ कहीं भागा तो नहीं जाता।। आप कम से कम आराम तो कर लें।"

"ऊहूं।" मैंने ज़ेर-ए-लब कहा, "पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर न हो सकेगा।"

माया ख़ामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, "बाबा मेरी कहानी... मेरी कहानी..."

"भोले... मेरे बच्चे?" मैंने भोले को टालते हुए कहा, "दिन को कहानी सुनाने से मुसाफ़िर रास्ता भूल जाते हैं।"

"रास्ता भूल जाते हैं!" भोले ने सोचते हुए कहा, "बाबा तुम झूठ बोलते हो...मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता।"

अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और पंद्रह-बीस मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पायंती पर रखी और अपनी दबी हुई एड़ी को जूती की क़ैद से बा-मशक़्क़त निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, "अब कोई मुसाफ़िर रास्ता खो बैठे...तो उसके तुम ज़िम्मेदार हो।"

और मैंने भोले को दोपहर के वक़्त सात शहज़ादों और सात शहज़ादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज़ में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आख़िर में शहज़ादा और शहज़ादी की शादी हो जाए मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर ख़ुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो एक अफ़्सुर्दा-सा मुंह बनाए ख़फ़ीफ़ तौर पर कांपता रहा।

इस ख़याल से कि पटवारी ख़ानक़ाह वाले कुंए पर इंतेज़ार करते-करते थक कर अपनी हल्की-हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डाल कर कहीं अपने गांव का रुख़ न कर ले। मैं जल्दी-जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। गो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था। ताहम वो नर्म मुतलक़ न हुई थी।

शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को ख़ुशी से दालान से सेहन में और सेहन से दालान में कूदते-फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था–"चल मामूं जी के देस...रे घोड़े, मामूं

जी के देस।

मामूं जी के देस, हां...हां, मामूं जी के देस। घोड़े...”

जूं ही मैंने दहलीज़ में क़दम रखा। भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला–“बाबा...आज मामूं जी आएंगे ना...?”

“फिर क्या होगा भोले...?” मैंने पूछा।

“मामूं जी अगन बोट लाएंगे। मामूं जी कल्लू (कुत्ता) लाएंगे। मामूं जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा न बाबा। हमारे यहां तो मक्की होती ही नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख़्वाब में भी न देखी होगी।”

मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस ख़ूबी से “ख़्वाब में भी न देखी होगी” के अल्फ़ाज़ सात शहज़ादों और सात शहज़ादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। “जीता रहे” मैंने दुआ देते हुए कहा, “बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रौशन करेगा।”

शाम होते ही भोला दरवाज़े में जा बैठा ताकि मामूं की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ़ दौड़े और पहले-पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामूं जी के आने की ख़बर सुनाए।

दीयों को दियासलाई दिखाई गई। जूं-जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता दीयों की रौशनी ज़्यादा होती जाती।

मुतफ़क्किराना लहजे में माया ने कहा–“बाबा-जी। भैया अभी तक नहीं आए।”

“किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे।”

“मुम्किन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो...राखी के रुपये डाक में भेज देंगे...मगर राखी?”

“हां राखी की कहो...उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था।”

मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाज़े की दहलीज़ पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफ़क्किराना लहजे में कहा, “माता जी... मामूं जी क्यों नहीं आए?”

माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, “शायद सुबह को आ जाएं। तेरे मामूं जी। मेरे भोले।”

फिर भोले ने अपने नर्म-ओ-नाज़ुक बाज़ुओं को अपनी मां के गले में डालते हुए कहा–“मेरे मामूं जी तुम्हारे क्या होते हैं?”

“जो तुम नन्ही के हो।”

“भाई?”

“तुम जानो...”

✻ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ✻ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं. : 9808080806

बुद्धिमानों के लिए ईश्वर की निशानियां

तुम्हारा पूज्य-प्रभु अकेला पूज्य-प्रभु है, उस कृपाशील और दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य-प्रभु नहीं। निस्संदेह आकाशों और धरती की संरचना में, और रात और दिन की अदला-बदली में, और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीज़ें लेकर समुद्र (और नदी) में चलती हैं, और उस पानी में जिसे ईश्वर ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव होने के पश्चात् जीवित किया और उसमें हर एक (प्रकार के) जीवधारी को फैलाया, और हवाओं को गर्दिश देने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच (काम पर) नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लें। (क़ुरआन, 2:164-165)

यह क़ुरआन की एक महत्वपूर्ण आयत है। यह आयत बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में वे हैं जो संसार में अंधे बनकर जीवन व्यतीत नहीं करते, बल्कि वे अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हुए इस जगत की संरचना और इसके क्रिया-कलाप में सोच-विचार से काम लेते हैं। उन्हें साफ़ दिखाई देता है कि इस जगत की रचना निरुद्देश्य कदापि नहीं है, बल्कि इसकी एक-एक चीज़ इस बात की गवाही देती है कि इस जगत के पीछे किसी सर्वज्ञ कुशल, दानशील और दयाशील सत्ता का हाथ है। वर्तमान जगत की संरचना और इसमें क्रियान्वित प्राकृतिक नियमों को देखते हुए यह लक्षित होता है कि यहां दयालुता भी पाई जाती है और दानशीलता भी। इस जगत के अध्ययन



से इसके स्रष्टा की अपार बुद्धिमत्ता का भी परिचय मिलता है। यह कैसे संभव है कि दयालुता तो हो, किन्तु उसके पीछे कोई दयावान न हो, दानशीलता



दानशील सत्ता के बिना पाई जाती हो। तत्वदर्शिता और बुद्धिमत्ता के चमत्कार को स्पष्टतः हमें दिखाई देते हों, किन्तु इस चमत्कार के पीछे किसी सर्वज्ञ प्रभु की सामर्थ्य और दृष्टि क्रियाशील न हो।

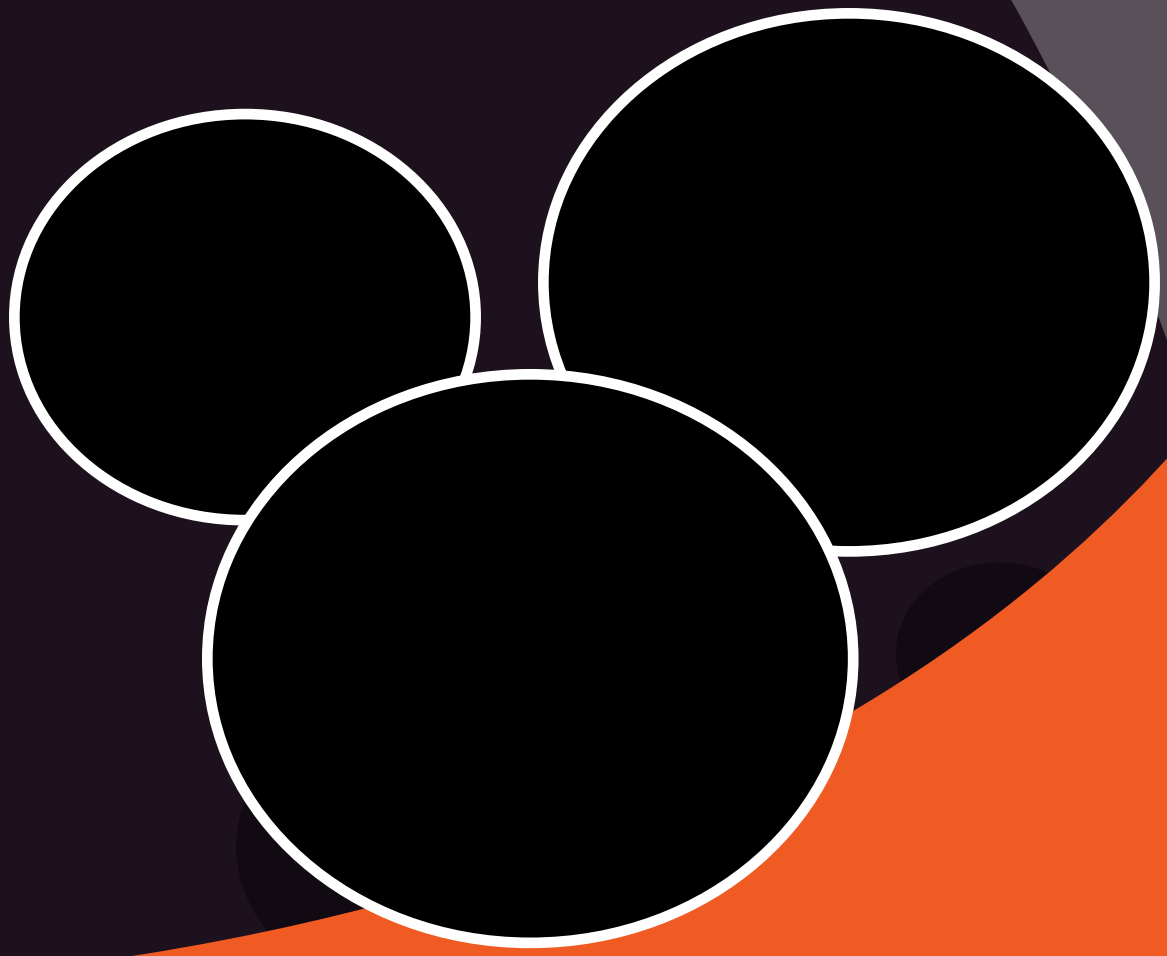
यहां की प्रत्येक चीज़ एक-दूसरे की सहायक है। सहयोग का नियम पूर्णतः यहां क्रियान्वित है। यहां रात और दिन के मध्य कोई विरोध नहीं। मानव को दोनों की आवश्यकता है और वह दोनों से लाभ उठाता है। दरिया और नौकाएं व्यापार आदि में हमारी सहायक हैं, आसमान धरती के साथ सहयोग करता है और हवाएं इसमें उसका साथ देती हैं। आकाश से वर्षा होती है और निर्जीव भूमि में जीवन का संचार हो जाता है। सूखी धरती हरित हो जाती है और विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं के पलने-बढ़ने के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। हवाएं यूं ही नहीं चलतीं, बादल का बरसना निरर्थक नहीं होता, फूल संयोगवश नहीं खिलते, बल्कि इनके पीछे स्पष्ट दिखाई देता है कि किसी योजनाकार का हाथ है। जगत और जीवन की समस्त चीज़ें केवल वर्तमान जीवन के लिए लाभकारी ही नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्मदर्शियों और संवेदनशील व्यक्तियों के लिए इनमें बड़े संकेत और मधुर संदेश पाए जाते हैं। यहां की सारी चीज़ें बताती हैं कि पूर्णता कहीं और है जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। स्रष्टा की दानशीलता का भाव इसी जीवन और जगत पर समाप्त नहीं हो जाता और न इससे उसका कोष रिक्त हो जाता है।

यहां की वर्षा किसी अमृत वर्षा की सूचक है और यहां का बसंत किसी शाश्वत बसंत का संदेश है। यह जगत अपने मूक शब्दों में यह सब कुछ कह रहा है, बल्कि वह कुछ भी जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी लिए इस आयत में कहा गया है कि इन चीज़ों में बहुत-सी निशानियां हैं। बुद्धि और विवेक से काम लेने वाले उन निशानियों को भली-भांति समझ सकते हैं। ■■

QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters

AN ISO 9001:2008 COMPANY



FACTORY

PLOT No. S.5B 39 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALETE, GOA-403 703
TEL.: 91 832 2865610/11/12 | FAX: 832 2865609
Email: aualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

KANTI Monthly, New Delhi
DECEMBER 2023
Posted on 20-21 November 2023
Published on 18 November 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया :

मैं अच्छे अख़्लाक़ को

मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूं।

(इमाम मालिक : 705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com